भारतीय संविधान

भारतीय संविधान का निर्माण :–

भारतीय संविधान का निर्माण एक संविधान सभा द्वारा किया गया । संविधान सभा के निर्माण की प्रकिया 1946 के केविनेट मिशन योजना द्वारा दी गई थी । इसी के आधार पर जुलाई–अगस्त 1946 में संविधान सभा के चुनाव को संविधान सभा में जनसंख्या के आधार पर हुए (10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना गया) । संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे । जिसमें से 292 सदस्य प्रान्तों की विधान सभा से, 4 कमिशनरी क्षेत्रों से निर्वाचित हुए और 93 सदस्य देशी रियासतों से मनोनित किये गये ।

संविधान सभा का पहला अधिवेशन 9 दिसम्बर 1946 को हुआ। जिसमें **डॉ.सच्चिदानन्द सिन्हा** को सर्वसम्मति से संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष चुना गया । इसके बाद 11 दिसम्बर 1946 को **डॉ. राजेन्द्र प्रसाद** को संविधान सभा का स्थाई अध्यक्ष चुना गया और **बी. एन राव** को संविधान सभा का सलाहकार नियुक्त किया गया । 13 दिसम्बर 1946 को **पण्डित जवाहरलाल नेहरु** द्वारा उददेश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के सदस्यों ने सर्वसम्मति से पारित कर दिया ।

- देश के विभाजन के बाद संविधान सभा के कुल 90 सदस्य पाकिस्तान मे चले जाने से संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 299 रह गई ।
- संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा के कई समितियों का गठन किया गया था जिसमें प्रारुप समिति प्रमुख थी जिसका गठन डॉ.भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में किया गया थाा ।
- झण्डा समिति के अध्यक्ष जे. वी. कृपलानी थे । संविधान निर्माण मे 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था।
- 26 नवम्बर 1949 को संविधान सभा ने भारतीय संविधान स्वीकार किया ।
- 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने अन्तिम बार हस्ताक्षर किये थे ।
- 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया और इसी दिन से भारत को गणतंत्र घोषित किया गया ।
- संविधान निर्माण में **डॉ.भीमराव अम्बेडकर** का विशेष योगदान होने के कारण उन्हें **भारतीय संविधान का जनक (पिता)** कहा जाता है ।

भारतीय संविधान के स्त्रोत :–

- भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा ने विश्व के लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन करने के बाद किया था ।
- भारतीय संविधान का अधिकांश भाग 1935 के भारतीय शासन अधिनियम से लिया गया है।
- भारतीय संविधान का अधिकांश भाग ब्रिटेन की शासन प्रणाली से प्रभावित है क्योंकि भारत लम्बे समय तक ब्रिटेन का उपनिवेश रहा ।
- **ब्रिटेन का संविधान** – "संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय प्रकिया, एकल नागरिकता, और संसदीय विशेषाधिकार,"
- **अमेरिका का संविधान:**– "मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रकिया, उपराष्ट्रपति का पद,सर्वोच्च न्यायालय का गठन और शक्तियां, न्यायिक पुनरावलोकन,"।
- **आयरलैण्ड का संविधान:**– "राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति द्वारा राज्य सभा मे 12 सदस्यों को मनोनित करना ।"
- **कनाडा का संविधान:**–"संघीय शासन प्रणाली"
- **फ्रांस का संविधान:**– "गणतंत्रात्मक व्यवस्था ।"
- **पूर्व सोवियत संघ का संविधान:**– "मौलिक कर्तव्य"
- **जर्मनी का वायमर संविधान** :– राष्ट्रपति की आपात कालीन शक्तियों का प्रावधान ।
- **ऑस्ट्रेलिया का संविधान** :– "संवर्ती सूची"
- **दक्षिण अफ्रीका का संविधानः**– "संविधान संशोधन की प्रकिया"

भारतीय संविधान की विशेषतायें:–

(1) भारतीय संविधान लिखित संविधान है जबकि ब्रिटेन का संविधान लिखित नहीं है ।

(2) भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियॉ और 22 भाग हैं । वर्तमान में इसमें 109 संशोधन हो चुके हैं और 12 अनुसूचियां है ।

(3) भारतीय संविधान का निर्माण विभिन्न देशों के संविधानों के प्रावधानों के अनुसार किया गया है।

(4) संविधान कठोर और लचीला है ।

(5) स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था है ।

(6) धर्म निरपेक्ष राज्य की व्यवस्था है अर्थात राज्य का कोई धर्म नहीं है बल्कि प्रत्येक व्यक्ति किसी भी धर्म का पालन करने के लिए स्वतंत्र है ।

(7) संघीय शासन प्रणाली के अर्न्तगत केन्द्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है ।

(8) संविधान के अनुसार देश में समाजवादी व्यवस्था स्थापित की गई है ।

(9) संविधान के अनुसार देश में लोकतंत्रात्मक गणराज्य स्थापित किया गया है ।

(10) राज्य के नीतिनिर्देशक तत्वों के तहत देश में कल्याणकारी राज्य की स्थापना का प्रावाधान है ।

Samiksha INSTITUTE, GWALIOR 9826228312

(11) 18 वर्ष की उम्र के प्रत्येक नागरिक को मत देने का प्रावधान हैं ।

(12) संघीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है ।

(13) मौलिक अधिकारों और मौलिक कर्तव्यों का समावेश है ।

(14) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के लिए संविधान में कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं

संविधान की प्रस्तावनाः— संविधान की प्रस्तावना को **संविधान की कुंजी** कहा गया है । प्रस्तावना में संविधान के मूलभूत मूल्यों और दर्शन को व्यक्त किया गया है । प्रारम्भ में प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना गया था लेकिन बाद में 1973 में केशवानन्द भारती वनाम केरल राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। इसलिए वर्तमान में प्रस्तावना को संविधान का एक अंग माना जाता है । साथ ही उच्चतम न्यायलय ने निर्णय दिया है कि संसद को प्रस्तावना में संशोधन करने का अधिकार है, इसी के तहत **1976 में 42 वे संविधान संशोधन** के तहत संविधान की प्रस्तावना में 3 नये शब्द "**समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखण्डता**" जोड़े गए ।

- **वर्तमान में भारतीय संविधान की प्रस्तावना इस प्रकार है :**

हम भारत के लोग भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न समाजवादी,पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक,न्यायविचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखण्डता सुनिश्चित करने वाली बन्धुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवम्वर 1949 (मिति माघ शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी) को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं ।

संविधन का भाग एकः—संविधान के भाग एक में अनुच्छेद 1 से 4 तक भारतीय संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है । वर्तमान में देश में 28 राज्य और 7 केन्द्र शासित प्रदेश हैं।

- **संविधान के अनुच्छेद 1** के अनुसार भारत राज्यों का संघ है ।
- **अनुच्छेद 2 के अनुसारः**— संसद नये राज्यों अथवा क्षेत्रों को संघ में प्रवेश दे सकेगा ।
- **अनुच्छेद 3 के अनुसारः**— संसद राज्यों के नाम, सीमा, क्षेत्र इत्यादि में परिवर्तन कर सकती हैं अर्थात नये राज्यों का गठन कर सकती हैं ।

राज्यों का पुर्नगठनः— आजादी के बाद देश में A,B,C,D ग्रेड के कुल 29 राज्य बनाये गये थे । 1 अक्टूबर 1953 को तत्कालीन मद्रास राज्य से तेलगू भाषी क्षेत्र को अलग करके देश में **भाषायी आधार पर पहला राज्य आन्ध्रप्रदेश** गठित किया गया था **। 1953 में न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता** में राज्य पुर्नगठन आयोग का गठन किया गया। इस आयोग के दो अन्य सदस्य के एम पणिक्कर तथा हृदयनाथ कुंजरू थे। इस आयोग ने 30 दिसम्बर 1955 को अपनी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को सौंपी। इस आयोग की सिफारिश के आधार पर **राज्य पुर्नगठन अधिनियम 1956 बनाया गया। इस अधिनियम के तहत देश में 14 राज्य और 6 केन्द्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। इसी के तहत** 1 नवम्वर 1956 को मध्यप्रदेश राज्य का पुर्नगठन किय गया **।**

- **1960 में बम्बई राज्य** से मराठी भाषायी क्षेत्र में महाराष्ट्र और गुजराती भाषायी क्षेत्र में गुजरात राज्य बनाया गया ।
- **1966 में पंजाब राज्य** को विभाजित करके पंजाबी भाषायी प्रान्त पंजाब और हिन्दी भाषायी राज्य हरियाणा बनाया गया और इसी से अलग करके चण्डीगढ़ को केन्द्र शाासित प्रदेश बनाया गया ।
- 35वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को सहराज्य का दर्जा 1974 में दिया गया 1975 में 36 वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को देश का 22वा राज्य बनाया गया ।
  - 1954 में पाण्डेचेरी की फ्रांसीसी बस्तियों को फ्रांसीसी सरकार द्वारा भारत को सौंप दिया गया था । इसे विधिवत रुप से दिसम्बर 1962 में भारतीय संघ का अंग बनाया गया ।
  - 1961 में पुर्तगाल द्वारा **गोवा** को स्वतंत्र कर दिया गया और 1962 में इसे भारतीय संघ का अंग बनाया गया ।
  - 1987 में गोवा को भारत का 25वाँ पूर्ण राज्य बनाया गया ।
  - वर्ष 2000 में 1 नवम्वर को मध्यप्रदेश से छत्तीसगढ़ को, 9 नवम्वर को उत्तराखण्ड को उत्तरप्रदेश से और 15 नवम्वर को झारखण्ड को बिहार राज्य से अलग करके क्रमशः 26वें, 27वें और 28वें राज्य के रुप में गठित किया गया।

नोटः— 1 नवम्वर 1973 को मैसूर राज्य का नाम बदलकर **कर्नाटक** कर दिया गया।

संविधान का भाग 2 :— भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक **नागरिकता संबंधी** प्रावधान किए गए है हमारे देश में ब्रिटेन की तरह एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान में "नागरिकता" शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है । संविधान के अनुच्छेद 11 के द्वारा संसद को नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है । भारतीय संसद ने 1955,1986,1992,2003 और 2005 में नागरिकता संबंधी कानून बनाये गयें ।

नागरिकता प्राप्ति के प्रावधानः— (1) जन्म के द्वारा

(2) **वंशाधिकार के द्वारा**— यदि किसी व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 तक भारत के बाहर हुआ हो लेकिन यदि उसके माता पिता में से कोई भारत का नागरिक है तो वह भारतीय नागरिक समझा जाएगा ।

(3) **पंजीकरण के द्वारा**— किसी भी व्यक्ति को पंजीकरण के 5 वर्ष बाद भारत की नागरिकता प्राप्त होती है ।

(4) **देशीयकरण के द्वारा** — वर्तमान में कोई भी व्यक्ति 12 वर्ष से भारत में रह रहा हो तथा दूसरे देश की नागरिकता छोड दी हो और उसने कोई भारतीय भाषा सीख ली हो तो वह भारत का नागरिक कहलाएगा ।

(5) किसी भी नए भू भाग को भारत में मिलाए जाने पर उस क्षेत्र के सभी नागरिक भारत के नागरिक माने जाएंगे ।

नागरिकता समाप्ति के प्रावधानः—

1. स्वेच्छा से परित्याग द्वारा । 2.किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर लेने पर ।
3.धोखे से प्राप्त की गई नागरिकता । 4-भारतीय संविधान के प्रति अनादर करने पर ।
5.युद्ध के समय में शत्रु देश के साथ संबंध रखने पर । 6.भारत से लगातार 7 वर्षो तक बाहर रहने पर ।

नोटः– भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है ।

मौलिक अधिकार

मौलिक अधिकारों का वर्णन **संविधान के भाग–3 में अनुच्छेद 12 से 35** तक वर्णन किया गया है । भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार **अमेरिका के संविधान** से लिए गये हैं । मौलिक अधिकार वे मूलभूत अधिकार हैं जो किसी व्यक्ति के जीवन यापन हेतु मौलिक एवं अनिवार्य होने के कारण संविधान के द्वारा नागरिकों को प्रदान किये जाते हैं ।

- ये अधिकार व्यक्ति के मानसिक,भौतिक और नैतिक विकास के लिए आवश्यक है ।
- मौलिक अधिकार **न्यायलय द्वारा प्रवर्तनीय** है तथा इनका उल्लंघन करने वाले किसी भी कानून को न्यायालय शून्य घोषित कर सकता है ।
- मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार दिये गये थे लेकिन 1978 में 44वे संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 31 में वर्णित सम्पत्ति के अधिकार को समाप्त करके उसे अनुच्छेद 300(A) के तहत कानूनी अधिकार घोषित किया गया है ।
- वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं ।

1.समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14 से 18 तक)

अनुच्छेद 14 के अनुसार :– सभी व्यक्तियों को राज्य के द्वारा कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण प्राप्त होगा ।
अनुच्छेद 15 के अनुसारः– राज्य किसी भी नागरिक के विरूद्ध धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग तथा जन्म स्थान आदि के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा ।
अनुच्छेद 15(4) के अनुसारः–राज्य सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े और S.C,S.T. के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है ।
अनुच्छेद 16 के अनुसारः– देश के समस्त नागरिकों को शासकीय सेवाओं में अवसर की समानता होगी ।
अनुच्छेद 16(3) के अनुसारः– किसी क्षेत्र में नौकरी देने के लिए निवास सम्बन्धी शर्त लगाई जा सकती है ।
अनुच्छेद 16(4) के अनुसारः–देश के पिछड़े नागरिकों को उचित प्रतिनिधित्व के अभाव में आरक्षण की व्यवस्था की जा सकती है ।
अनुच्छेद 17 के अनुसारः– अस्पृश्यता का अन्त किया गया है । इसको समाप्त करने के लिए संसद ने **अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955** के तहत दण्डनीय बना दिया है । बाद में 1976 में इसको संशोधित करके **सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976** बनाया गया ।
अनुच्छेद 18 के अनुसारः– शिक्षा और सैनिक क्षेत्र को छोड़कर राज्य द्वारा सभी उपाधियों का अन्त कर दिया गया है
अनुच्छेद 18(2) के अनुसारः– भारत का कोई भी नागरिक किसी भी विदेशी पुरस्कार को राष्ट्रपति की अनुमति के बिना ग्रहण नहीं कर सकता ।

2.स्वतंत्रता का अधिकारः–(अनुच्छेद 19 से 22 तक)

अनुच्छेद 19 के अनुसारः– नागरिक को 6 प्रकार की स्वतंत्रतायें दी गई है :
(1) भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद **19(1)A** के अन्तर्गत **प्रेस को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता** दी गई है । इसी के तहत देश के नागरिकों को **राष्ट्रीय ध्वज को फहराने की स्वतंत्रता** दी गई है ।
(2) शांतिपूर्ण तथा बिना हथियारों के नागरिकों को सम्मेलन करने और जुलूस निकालने का अधिकार होगा ।
(3) भारतीय नागरिकों को संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता दी गई है लेकिन सैनिकों को ऐसी स्वतंत्रता नहीं दी गई है
(4) देश के किसी भी क्षेत्र मे स्वतंत्रता पूर्वक भ्रमण करने की स्वतंत्रता ।
(5) देश के किसी क्षेत्र में स्थाई निवास की स्वतंत्रता । (जम्मू कश्मीर को छोड़कर)
(6) कोई भी व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता ।
अनुच्छेद 20 के अनुसारः– अपराधों के लिए **दोष सिद्धि** के संबध में संरक्षण दिया गया है
1/किसी भी व्यक्ति को तब तक अपराधी नहीं माना जाएगा जब तक यह सिद्ध न हो जाये कि उसने किसी कानून का उल्लंघन किया है ।
2/किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए उससे अधिक दण्ड नहीं दिया जा सकता ।
3/किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दण्ड नहीं दिया जा सकता ।
4/किसी भी व्यक्ति को स्वयं अपने विरूद्ध गवाही देने या सबूत पेश करने के लिये बाध्य नहीं किया जा सकता ।
अनुच्छेद 21 के अनुसारः–किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और शरीर की स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता ।
अनुच्छेद 21(A) के अनुसारः–वर्ष 2003 में 86वे संविधान संशोधन के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य और निशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है ।
अनुच्छेद 22 के अनुसारः– किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता और गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घण्टे के अन्दर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य है ।

(3) शोषण के विरूद्ध अधिकार (23 से 24 तक)ः–

अनुच्छेद 23 के अनुसारः– मानव व्यापार,बैगार,तथा बलात श्रम पर प्रतिबंध लगाया गया है । बंधुआ मजदूरी समाप्त करने के लिए 1975 में बंधुआ मजदूरी का उन्मूलन अधिनियम पारित किया गया ।
अनुच्छेद 24 के अनुसारः–बाल श्रम का निषेध किया गया है जिसके अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बच्चे को कारखानो, खदानों या खतरनाक कार्यों में नहीं लगाया जा सकता ।

(4) धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकारः– (25 से 28 तक)

अनुच्छेद 25 के अनुसारः. देश के प्रत्येक नागरिक को किसी भी धर्म को मानने,आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार है । लेकिन सार्वजनिक व्यवस्था,समाज कल्याण एवं सुधार आदि के अन्तर्गत इस पर रोक लगाई जा सकती है
अनुच्छेद 26 के अनुसारः– धार्मिक प्रयोजन के लिए संस्था बनाने, उसका पोषण करने और धार्मिक कार्यों के प्रबन्ध के लिये सम्पत्ति अर्जित करने का अधिकार है ।
अनुच्छेद 27 के अनुसारः– किसी भी व्यक्ति को किसी धर्म या सम्प्रदाय विशेष के पोषण हेतु कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा ।

Samiksha INSTITUTE, GWALIOR, 9826228312

अनुच्छेद 28 के अनुसारः— राज्य निधि से वित्त पोषित या आर्थिक सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी और न ही किसी व्यक्ति को धार्मिक शिक्षा या धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता

(5) संस्कृति और शिक्षा सम्बन्धी अधिकार(29से 30 तक)

अनुच्छेद 29 के अनुसारः— देश के प्रत्येक नागरिक को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को सुरक्षित रखने का पूर्ण अधिकार होगा ।

—राज्य द्वारा आर्थिक सहायता प्राप्त किसी भी शिक्षण संस्था में किसी भी नागरिक को धर्म,मूलवंश,जाति और भाषा आदि के आधार पर प्रवेश लेने से वंचित नही किया जा सकता ।

अनुच्छेद 30 के अनुसारः— धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्प संख्यक वर्गो को अपनी पसंद की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करने और प्रशासन का अधिकार होगा और राज्य इस आधार पर शिक्षा संस्थाओ को आर्थिक सहायता देने के लिए कोई विभेद नही करेगा ।

6.संवैधानिक उपचारों का अधिकारः—

अनुच्छेद 32 के अनुसारः— यह अधिकार मौलिक अधिकारों के लिए प्रभावी कार्यवाईयॉ न्यायलय के द्वारा करवाता है । इस अधिकार के तहत यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लघन हुआ है तो वह सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है ।

- अनुच्छेद 32 को **डॉ. भीमराव अम्वेडकर** ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा है।
- **अनुच्छेद 32** के तहत सर्वोच्च न्यायालय को और **अनुच्छेद 226** के तहत उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के संरक्षण हेतु 5 रिटे जारी करने का अधिकार है ।

1/ **बन्दी प्रत्यक्षीकरण** :—इसके अन्तर्गत गैर कानूनी या अवैधानिक रूप से बन्द किये गये किसी भी व्यक्ति को सामने लाने हेतु न्यायालय द्वारा आदेश दिया जा सकता है । यह आदेश किसी भी शासकीय कर्मचारी या किसी भी व्यक्ति के लिए जारी किया जा सकता है ।

2/ **परमादेश** :—यह आदेश सार्वजनिक पद पर काम करने वाले अधिकारियों,सरकार तथा अधीनस्थ न्यायालयों एवं न्यायिक अभिकरण के विरूद्ध जारी किया जा सकता है यदि वे अपने कर्तव्यों का सही पालन नही कर रहे हो ।
—किन्तु यह किसी संस्था या व्यक्ति के विरूद्ध जारी नही किया जा सकता है ।

3/ **प्रतिषेध** :—यह निम्न न्यायालयों को जारी की जाने वाली निषेधाज्ञा है । जिसमें यह आदेश दिया जाता है कि वे किसी मामले विशेष मे कोई कार्यवाही न करें क्योंकि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है ।

4/ **उत्प्रेषण** :—इसके द्वारा निम्न न्यायालय के किसी भी केस को या जानकारी को उच्च न्यायालय अपने पास मंगा सकता है यह रिट उस समय जारी की जा सकती है जब निम्न न्यायालय किसी मामले की सुनवाई कर चुका हो ।

5/ **अधिकार प्रच्छा** :—इस रिट द्वारा न्यायालय किसी भी ऐसे व्यक्ति से जो किसी सार्वजनिक पद पर अवैधानिक रूप से कार्य कर रहा होता है । तो उससे पूछा जाता है कि आप इस पद पर किस अधिकार से कार्य कर रहे हैं ।

मौलिक अधिकारों का निलम्बन :—

अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा होने पर उसके द्वारा अनुच्छेद 359 के तहत सभी मौलिक अधिकार निलम्बित किये जा सकते हैं ।

- परन्तु 44वें संविधान संशोधन के पश्चात अनुच्छेद 20 व 21 किसी भी स्थिति में निलबित नही किये जा सकते ।

नोटः— अनुच्छेद – 15,16,19,29,30 के अन्तर्गत प्राप्त मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए है ।
जबकि शेष सभी अधिकार सभी व्यक्तियों के लिये हैं ।

राज्य के नीति निर्देशक तत्व :— (36 से 51 तक)

- संविधान का भाग–4 इसमें अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है ।
- ये सिद्धांत समाजवादी और गॉधीवादी विचार धारा से प्रभावित है ।
- ये आयरलैण्ड के संविधान से लिये गये है । **अनुच्छेद 37 के अनुसार** इनको न्यायलय की अधिकारिता से बाहर रखा गया है लेकिन इनके पीछे जनमत शक्ति कार्य करती है । राज्य के नीति निर्देशक तत्व लोक कल्याणकारी राज्य और सामाजिक,आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना के आधारभूत तत्व हैं।

अनुच्छेद 38 के अनुसार :— राज्य सामाजिक,आर्थिक और राजनीतिक न्याय से परिपूर्ण सामाजिक व्यवस्था की अभिवृद्धि के लिए प्रयास करेगा और राज्य व्यक्तियों के मत,आय,अवसर,प्रतिष्ठा और सुविधाओं की असमानता को कम करने का प्रयास करेगा ।

अनुच्छेद 39 के अनुसार :— राज्य ऐसा प्रयास करेगा कि धन और संसाधनों का संकेन्द्रण सर्वहारा वर्ग के अहित में न हो ।

अनुच्छेद 39 (1) के अनुसार :— राज्य सभी नागरिकों को समान कार्य के लिये समान वेतन देने का प्रयास करेगा ।

अनुच्छेद 39 (a) के अनुसार :— राज्य अपने नागरिकों को निशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने का प्रयास करेगा

अनुच्छेद 40 के अनुसार :— राज्य ग्राम पंचायतों के गठन का कार्य कर सकेगा ।

अनुच्छेद 41 के अनुसार :—राज्य बेकारी,बुढ़ापा,बीमारी और अन्य प्रकार से लाचारी की स्थिति मे सहायता प्रदान करेगा ।

अनुच्छेद 42 के अनुसार :— राज्य मजदूरों के हित के लिये कार्य करेगा और महिलाओं को प्रसूति सहायता दी जायेगी ।

अनुच्छेद 43 के अनुसार :— राज्य सभी कामगारों के जीवन स्तर को उठाने का प्रयास करेगा ।

अनुच्छेद 44 के अनुसार :— राज्य एक समान सिविल संहिता लागू करने का प्रयास करेगा ।

अनुच्छेद 45 के अनुसार :— राज्य 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य एवं निशुल्क शिक्षा देने का प्रयास करेगा।

अनुच्छेद 46 के अनुसार :— राज्य अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के शैक्षणिक और आर्थिक हितों की वृद्धि के लिये प्रयास करेगा ।

अनुच्छेद 47 के अनुसार :— राज्य नशाबंदी करने का प्रयास करेगा और पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को उॅचा करने का प्रयास करेगा ।

अनुच्छेद 48 के अनुसार :– राज्य कृषि और पशुपालन के विकास के लिये कार्य करेगा ।

अनुच्छेद 48(A) के अनुसार :– राज्य पर्यावरण संरक्षण एवं सर्वधन और वन एवं वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा ।

अनुच्छेद 49 के अनुसार :– राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों,स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण संबंधी प्रयास करेगा ।

अनुच्छेद 50 के अनुसार :– राज्य न्यायपालिका से कार्यपालिका को प्रथक करने का प्रयास करेगा ।

अनुच्छेद 51 के अनुसार :– राज्य अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति में वृद्धि का प्रयास करेगा ।

मौलिक कर्तव्य :–मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था बाद में **स्वर्णसिंह समिति** की रिपोर्ट के आधार पर 1976 में 42वे संविधान संशोधन द्वारा संविधान के भाग–4(अ) में अनुच्छेद 51(अ) में 11 मौलिक कर्तव्यों का पालन किया गया । ये मौलिक कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिये गये हैं ।

- 86वे संविधान संसोधन के द्वारा 11वे मौलिक कर्तव्य के तहत 14 वर्ष तक के बच्चों को माता–पिता या संरक्षक शिक्षा का अवसर प्रदान करेंगें ।

भारत का राष्ट्रपति :–

- **संविधान के भाग–5** में संघीय कार्यपालिका के कार्य का वर्णन किया गया है ।
- भारत का राष्ट्रपति ब्रिटेन के क्राउन की तरह देश का औपचारिक प्रमुख होता है ।
- राष्ट्रपति को देश का प्रथम नागरिक माना जाता है ।
- संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा ।
- अनुच्छेद 53 के अनुसार राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका का प्रमुख होगा ।

राष्ट्रपति का निर्वाचन :– अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन संसद और विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों के एक निर्वाचक मंडल द्वारा होगा ।

नोट :– राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं ।

अनुच्छेद 55 के अनुसार :– राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से "अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत पद्धति" द्वारा होता है।

राष्ट्रपति पद की योगयताएँ :– (1.) वह भारत का नागरिक हो, (2.) 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो । (3.) किसी लाभ के पद पर न हो, (4.)पागल या दिवालिया न हो (5.) लोक सभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो ।

नोट :– (1) राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी के लिये निर्वाचक मण्डल के 50 सदस्यों का प्रस्ताव और 50 सदस्यों का अनुमोदन होना आवश्यक है ।
(2) राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी को नामांकन करते समय 15000 रूपये जमानत राशि जमा करनी होती है ।

- भारत में अब तक 13 बार राष्ट्रपति के चुनाव हुये हैं । जिसमें भारत के प्रथम राष्ट्रपति **डॉ. राजेन्द्र प्रसाद** लगातार 2 बार चुने गये ।
- हमारे देश में कोई भी व्यक्ति कितने बार भी राष्ट्रपति पद के लिये चुना जा सकता है ।
- **नीलम संजीव रेडडी** एक मात्र निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति थे ।
- **वी.वी. गिरी** एक मात्र ऐसे राष्ट्रपति हुए जो दूसरे चक्र की मत गणना के दौरान विजयी घोषित हुए ।
- नीलम संजीव रेडडी राष्ट्रपति चुने जाने से पूर्व लोक सभा अध्यक्ष रहे थें ।
- **डॉ. जकिर हुसैन भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति** थे ।
- डॉ. जकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु राष्ट्रपति पद पर रहते हुए हुई थी ।
- डॉ. के. आर. नारायण प्रथम दलित राष्ट्रपति हुए ।
- डॉ राजेन्द्र प्रसाद सबसे अधिक मतों से निर्वाचित होने वाले राष्ट्रपति थे ।
- 13वे राष्ट्रपति के चुनाव में श्रीमती प्रतिभा पाटिल ने भैरोसिंह शेखावत को हराया था ।
- **श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति** हैं ।
- डॉ राजेन्द्र प्रसाद,फखरूद्दीन अली अहमद,नीलम संजीव रेडडी, ज्ञानी जेलसिंह, डॉ ए पी जे अब्दुल कलाम और प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति बनने से पूर्व उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित नहीं हए ।
- वी.वी. गिरी, मोहम्मद हिदायत उल्ला और वी.डी. जत्ती ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया ।
- राष्ट्रपति के निर्वाचन सम्बन्धी विवाद का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय में होता है ।

राष्ट्रपति का वेतन :– **150000 रू.** और अन्य भत्ते ।

- राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायलय का मुख्य न्यायधीश शपथ दिलाता है ।

राष्ट्रपति का कार्यकाल :– अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है । लेकिन इससे पूर्व भी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे सकता है । संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है ।

- राष्ट्रपति पद के लिए किसी भी स्थिति मे 6 माह के अन्दर चुनाव कराना आवश्यक है ।

राष्ट्रपति के अधिकार और शक्तियॉ :–

कार्यपालिका संबंधी शक्तियॉ :– अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की समस्त कार्यपालिका संबंधी शक्तियॉ राष्ट्रपति में निहित है ।
अनुच्छेद 77 के अनुसार राष्ट्रपति भारतीय गणतंत्र का प्रधान होता है अर्थात भारत संरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किये जाते है ।

नियुक्ति संबंधी शक्ति :– राष्ट्रपति को निम्नलिखित पदाधिकारियों की नियुक्ति करने का अधिकार है । (1) प्रधानमंत्री और उसकी सलाह से अन्य मंत्रियों की । (2) सर्वोच्च न्यायलय और उच्च न्यायलय के न्यायधीशों की । (3) भारत का महान्यायवादी (4) नियंत्रक एवं महालेखा परिक्षक । (5) राज्यों के राज्यपाल (6) मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य आयुक्त (7) संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य एवं अध्यक्ष, विदेशों में राजदूत (8) वित्त आयोग (9) राजभाषा आयोग (10) योजना आयोग (11) राष्ट्रीय महिला आयोग (12) राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

नोट :— ये सभी नियुक्तियॉ राष्ट्रपति मंत्रीपरिषद की सलाह से करता है ।

राष्ट्रपति की सैनिक शक्तियॉ :—राष्ट्रपति भारत की तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है । राष्ट्रपति द्वारा ही तीनों सेनाओं के अध्यक्षों की नियुक्ति की जाती है।

- युद्ध घोषित करने और संधि करने का अधिकार भी राष्ट्रपति को होता है ।

राष्ट्रपति की विधायी शक्तियॉ :—1. राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है ।
2. राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों के सत्र बुलाने और सत्रावसान करने का अधिकार है ।
3. राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों मे अभिभाषण करने का अधिकार है ।यह अभिभाषण राष्ट्रपति का व्यक्तिगत अभिभाषण न होकर मंत्री मण्डल द्वारा तैयार किया गया भाषण होता है ।

- राष्ट्रपति लोक सभा के गठन के बाद पहली बैठक में और प्रत्येक वर्ष के सत्र के आरम्भ में संसद में अभिभाषण कर सकता है ।

4- संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही कानून बनता है ।
5- राष्ट्रपति किसी गैर धन विधेयक को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस लौटा सकता है ।
6- यदि किसी विधेयक के विषय में संसद के दोनों सदनों में 6 माह तक विरोध रहता है तो राष्ट्रपति संयुक्त बैठकर (अधिवेशन) बुलाकर अंतिम निर्णय करा सकता है । इस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोक सभा का अध्यक्ष करता है ।
7.राष्ट्रपति को पांच वर्ष से पूर्व भी प्रधानमंत्री की सलाह पर लोक सभा को भंग करने का अधिकार है ।
8. धन विधेयक, वित्त विधेयक और राज्यों के पुर्नगठन से संबंधित विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद ही संसद में प्रस्तुत किया जाता है ।

अध्यादेश जारी करने का अधिकार :—संविधान के अनुच्छेद 123 के अनुसार अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया है । इसके अनुसार जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है तब किसी राष्ट्रीय महत्व के विषय पर कानून बनाना आवश्यक हो उस समय राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया अध्यादेश 6 माह तक कानून की तरह कार्य करता है लेकिन संसद का सत्र प्रारम्भ होने पर 6 सप्ताह के अंदर इसे संसद में पारित हो जाना आवश्यक है नही तो वह स्वतः समाप्त हो जाता है । राष्ट्रपति अध्यादेश 6 माह से पहले भी वापस ले सकता है ।

राष्ट्रपति का निषेधाधिकार :—यद्यपि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के लिए विशेष निषेधाधिकार का उल्लेख नहीं किया गया लेकिन साधारण विधेयकों पर राष्ट्रपति को विचार करने की अनुमति देने की समयावधि का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है इसलिये राष्ट्रपति अनुमति देने मे कितना भी समय लगा सकता है । और जब राष्ट्रपति किसी विधेयक पर न तो अनुमति देता है और न ही उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेजता है तो यह माना जाता है कि राष्ट्रपति ने जेवी बीटो या पॉकेट बीटो का प्रयोग किया है। 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जेलसिंह द्वारा संसद द्वारा पारित भारतीय डाक संसोधन अधिनियम के संदर्भ में **जेवी वीटो** का प्रयोग किया गया है । जो अभी भी विचाराधीन है ।

मनोनयन का अधिकार :—अनुच्छेद 80(1) के अनुसार राष्ट्रपति राज्य सभा में कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा के क्षेत्र से संबन्धित 12 सदस्यों को मनोनीत करता है ।**अनुच्छेद 331** के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा में एंग्लो इंण्डिया समुदाय के 2 व्यक्तियों को लोकसभा में मनोनीत कर सकता है ।

राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियॉ :—राष्ट्रपति आगामी वर्ष का बजट वित्त मंत्री के द्वारा लोकसभा में पेश करवाता है ।

- अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करके केन्द्र और राज्यों के बीच करों से प्राप्त आय के वितरण के संदर्भ में सिफारिशें करवाता है ।

राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति :—संविधान के अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति को किसी भी भारतीय न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया किसी भी व्यक्ति के दण्ड को क्षमा करने और दण्ड को निलम्बित करने, दण्ड की प्रकृति को बदलने या कम करने का अधिकार है।

परामर्शीय अधिकार :—अनुच्छेद 143 के अनुसार राष्ट्रपति किसी भी राष्ट्रीय महत्व के विधिक प्रश्न पर उच्चतम न्यायलय की राय मांग सकता है लेकिन सर्वोच्च न्यायलय सलाह देने के लिए बाध्य नही है और न ही राष्ट्रपति इसे मानने के लिए बाध्य है।

राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियॉ :— राष्ट्रपति को 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां प्राप्त हैं ।

(1) **राष्ट्रीय आपात** :— अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति युद्ध, बाहरी आक्रमण की आशंका या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में देश में मंत्री परिषद की लिखित सिफारिश पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है । राष्ट्रीय आपात का अनुमोदन संसद द्वारा एक माह में हो जाना अनिवार्य है ।

नोट :— 1978 में 44वे संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा में आन्तरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह के आधार पर की जा सकती है।

(2) राष्ट्रीय आपात एक बार लागू होने पर 6 माह तक लागू रहेगा और उसे आगे जारी रखने के लिए संसद द्वारा पुनः अनुमोदन आवश्यक है ।

- अभी तक देश में 3 बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा हुई ।

(1) भारत चीन युद्ध के समय (26 अक्टूबर 1962 से 10 जनवरी 1968)

(2) भारत पाकिस्तान युद्ध के समय (13 दिसम्बर 1971 से 27 मार्च 1977 तक)

(3) आन्तरिक अशांति के आधार पर इन्द्रागांधी के समय (26 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक)

(2) **राष्ट्रपति शासन** :— अनुच्छेद 356 के तहत यदि किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र असफल हो जाता है तो उस राज्य के राज्यपाल की लिखित सिफारिश पर या स्वविवेक से राष्ट्रपति राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है इस स्थिति मे उस राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियों का उपयोग राष्ट्रपति की ओर से राज्यपाल कर सकता है

- इस घोषणा का संसद द्वारा 2 माह के अन्दर अनुमोदन होना आवश्यक है ।
- एक बार मे 6 माह के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है और अधिकतम किसी भी राज्य में 3 वर्ष तक राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है ।
- लेकिन जम्मू–कश्मीर राज्य मे 5 वर्ष तक लगाया जा सकता है ।
- पंजाब राज्य में 2 बार संविधान संषोधन करने के उपरान्त राज्य में लगातार 5 वर्षों तक राष्ट्रपति शासन लगाया गया है । देश में पहली बार 1951 में पंजाब राज्य मे राष्ट्रपति शासन लगाया था
- देश मे सबसे अधिक 10 बार राष्ट्रपति शासन उत्तरप्रदेश राज्य मे लगाया गया था ।

- केरल राज्य में 9 बार । सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन प्रधानमंत्री इन्दिरा गांधी के समय लगाया गया । मध्यप्रदेश में 3 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया ।

वित्तीय आपात :– अनुच्छेद 360 के अनुसार राष्ट्रपति देश में वित्तीय संकट उत्पन्न होने पर वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता हैं

- संसद द्वारा इसका अनुमोदन 2 माह के अन्दर हो जाना चाहिए ।
- वित्तीय आपात लागू होने की स्थिति में शासकीय कर्मचारियों और उच्चतम न्यायलय के न्यायधीशों के वेतन और भत्तों मे कमी की जा सकती है ।
- देश में अभी तक एक भी बार वित्तीय आपात घोषित नही किया गया ।

उपराष्ट्रपतिः–

- उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से

भारतीय संविधान में लिया गया है । संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा ।

अनुच्छेद 64 के अनुसार :–उपराष्ट्रपति राज्य सभा का पदेन सभापति होगा ।

उपराष्ट्रपति पद की योग्यताएँ :–

(1) भारत का नागरिक हो (2) 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो (3) पागल या दिवालिया न हो (4) किसी लाभ के पद पर न हो ।

(5) राज्य सभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो ।

निर्वाचन :– उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों (राज्य सभा और लोक सभा) के सभी सदस्यों द्वारा होता है । इसके निर्वाचन मे मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं । उपराष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा होता है।

उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार का नाम 20 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित और 20 मतदाताओं द्वारा समर्थित होना आवश्यक है और जमानत राशि 15 हजार रू. जमा करना आवश्यक है ।

कार्यकाल :– उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है लेकिन इससे पूर्व भी वह अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को दे सकता है या संसद के दोनो सदनों मे उसके विरूद्ध प्रस्ताव पारित हो जाने पर पद से हटना पड़ता है लेकिन इस प्रकिया की शुरूआत राज्य सभा से होती है ।

शपथ :– अनुच्छेद 69 के अनुसार उपराष्ट्रपति को उसके पद की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है ।

वेतन :– 1.25 लाख रूपए

नोट :– (1) अनुच्छेद 71 के अनुसार उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित किसी विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायलय द्वारा किया जाता है ।

(2) भारत मे कोई भी व्यक्ति एक से अधिक बार उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है । भारत के उपराष्ट्रपति डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन दो बार उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए ।

उपराष्ट्रपति के कार्य :–

उपराष्ट्रपति राज्य सभा का पदेन सभापति होने के कारण राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता करता है और राज्य सभा की कार्यवाही का संचालन करता है ।

- अनुच्छेद 65 के अनुसार राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग या अन्य कारण से उसका पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति के पद पर कार्य करता है।
- यदि उपराष्ट्रपति का पद भी रिक्त होता है, भारत का मुख्य न्यायधीश और उसकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय का न्यायधीश राष्ट्रपति के पद पर कार्य करेगा।
- जिस समय उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर कार्य करता है उस समय वह राष्ट्रपति के वेतन भत्तों और विशेषाधिकारों का हकदार होता है।

नोट :– उपराष्ट्रपति जिस समय राष्ट्रपति के रूप मे कार्य करता है उस समय वह राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नही करेगा।

- उपराष्ट्रपति वी वी गिरी और वी डी जत्ती ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया ।
- मोहम्मद हिदायतुल्ला भारत के एक मात्र न्यायधीश रहे हैं जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है ।
- डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन, मोहम्मद हिदायतुल्ला और डॉ. शंकरदयाल शर्मा निर्विरोध उपराष्ट्रपति के रूप मे निर्वाचित हुए ।
- डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन,वी वी गिरी,आर वेंकट रमन, डॉ शंकरदयाल शर्मा, और के.आर.नारायण उपराष्ट्रपति के बाद राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए ।
- उपराष्ट्रपति कृष्णकांत की अपने पद पर रहते हुए मृत्यु हुई ।
- वर्तमान मे भारत के उपराष्ट्रपति मो. हामिद अंसारी है, इन्होने **नजमा हेपतुल्ला** को हराया है ।

मंत्री परिषद :– **संविधान के अनुच्छेद 74** के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यो में सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा ।

- **अनुच्छेद 75 के अनुसार** प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और उसकी सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है।
- मंत्री परिषद के सदस्यों को संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य होना अनिवार्य है।
- राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सलाह से किसी भी ऐसे व्यक्ति को मंत्री के रूप में 6 माह के लिए नियुक्त कर सकता है जो संसद का सदस्य नही है लेकिन उसे 6 माह के अन्दर संसद का सदस्य बनाना अनिवार्य होगा ।

- **मंत्रीपरिषद में 3 स्तर के मंत्री होते हैं** (1) केबीनेट मंत्री (2) राज्य मंत्री (3) उपमंत्री
- केबीनेट स्तर के मंत्री अपने विभागों के प्रमुख होते हैं ।
- केबीनेट मंत्रियों को संयुक्त रूप से मंत्री मंण्डल कहा जाता है ।
- सरकार का कोई भी नीतिगत निर्णय मंत्रीमंडल द्वारा होता है ।
- मंत्री को उसके पद की शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है ।
- कोई भी मंत्री व्यक्तिगत तौर पर राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है लेकिन मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है ।

प्रधानमंत्री – भारत में संसदीय शासन प्रणाली होने के कारण प्रधानमंत्री **संघीय कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान** होता है

नियुक्ति :– **अनुच्छेद 75** के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

- राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करता है जो लोकसभा मे बहुमत दल का नेता है । प्रधानमंत्री को लोकसभा या राज्यसभा में से किसी भी सदन का सदस्य होना अनिवार्य है लेकिन किसी भी गैर संसद सदस्य व्यक्ति को भी 6 माह के लिए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है ।
- राजीव गांधी, पी.वी. नरसिन्हाराव और एच.डी.देवगोड़ा ऐसे व्यक्ति है जो प्रधानमंत्री बनते समय किसी भी सदन के सदस्य नही थे ।

कार्यकाल :– प्रधानमंत्री का कार्यकाल उस समय तक माना जाता है जब तक कि उसे लोकसभा मे बहुमत प्राप्त है ।

शपथ :– प्रधानमंत्री को उसके पद की शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है ।

वेतन :– प्रधानमंत्री को 50,000 रू संसद सदस्य के रूप में और अन्य भत्ते प्राप्त होते हैं ।

शक्तियॉं :– प्रधानमंत्री अपने मंत्रीमंडल के सदस्यों को नियुक्त करने तथा मंत्रीमंडल से उनके त्याग पत्र को स्वीकार करने की सिफारिश राष्ट्रपति से करता है । प्रधानमंत्री मंत्री परिषद के सदस्यों को विभागों का बटवारा कर सकता है ।

- प्रधानमंत्री मंत्रीमंडल का प्रधान होता है। इसीलिए वह मंत्रीमण्डल की बैठकों की अध्यक्षता करता है ।
- प्रधानमंत्री लोकसभा को 5 वर्ष से पूर्व ही भंग करने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है।
- अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह मंत्री परिषद के कार्यो और निर्णयों से राष्ट्रपति को समय – समय पर अवगत कराए।
- प्रधानमंत्री योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है, इसलिए उसे पंचवर्षीय योजनाओं का निर्णय का अधिकार होता है ।
- **नोट** :– प्रधानमंत्री के रूप में सबसे अधिक लम्बा कार्यकाल पं. जवाहरलाल नेहरू का है। इनका कार्यकाल 15 अग्स्त 1947 से 27 मई 1964 तक । दूसरा कार्यकाल इंदिरागांधी का है ।
- **चौधरी चरणसिंह** ऐसे प्रधानमंत्री हुए जो एक भी दिन संसद नहीं गए। देश में पहली गैर–कांग्रेसी सरकार के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई 1977 में जनता पार्टी सरकार के प्रधानमंत्री बने थे ।
- **लालबहादुर शास्त्री** की अपने कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई थी। लालबहादुर शास्त्री की मृत्यु 1966 में ताशकन्द में हुई थी।
- **गुलजारीलाल नन्दा ने** 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में काम किया है । प्रथम पण्डित नेहरू जी की मृत्यु के बाद, द्वितीय लालबहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद ।

उपप्रधानमंत्री :–भारतीय संविधान में उपप्रधानमंत्री पद का कोई उल्लेख नहीं है लेकिन समय–समय पर इस पद की व्यवस्था की जाती रही है ।

- पहली बार पण्डित जवाहरलाल नेहरू के समय सरदार बल्लभभाई पटेल को देश का प्रथम उपप्रधानमंत्री बनाया गया ।
- मोरारजी देसाई को इन्दिरा गांधी के समय, जगजीवनराम और चौधरी चरणसिंह को मोरारजी देसाई के समय उपप्रधानमंत्री बनाया गया था ।
- चौधरी देवीलाल को 2 बार उपप्रधानमंत्री बनाया गया । वी पी सिंह और चन्द्रशेखर के समय उपप्रधानमंत्री बनाया गया था ।
- लालकृष्ण आडवानी को अटलबिहारी के समय उपप्रधानमंत्री बनाया गया ।

भारत का महान्यायवादी (Atorney general of India):-

संविधान के **अनुच्छेद 76** के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है = राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को महान्यायवादी के रूप में नियुक्त कर सकता है, जो सर्वोच्च न्यायलय के न्यायधीश बनने की योग्यता रखता हो ।

- महान्यायवादी का कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त होता है ।
- महान्यायवादी भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है और वह सरकार को कानूनी मामलों मे सलाह देता है ।
- अनुच्छेद 88 के अनुसार महान्यायवादी संसद का सदस्य न होने के बाद भी ससंद के किसी भी सदन की बैठक में भाग ले सकता है, भाषण दे सकता है लेकिन उसे मत देने का अधिकार नही होता है ।
- महान्यायवादी सर्वोच्च न्यायलय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करता है वर्तमान मे भारत के महान्यायवादी गुलाम ई. वाहनवती हैं ।
- पहले महान्यायवादी सोरो सोराभजी थे ।

संसद :–

भारत में संसदीय शासन प्रणाली को स्वीकार किया गया है इसलिए संसद की सर्वोच्चता भारतीय शासन की प्रमुख विशेषता है ।

- संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति, राज्य सभा और लोकसभा से मिलकर बनती है ।

राज्य सभा :–

- संविधान के **अनुच्छेद 80** में राज्य सभा का उल्लेख किया गया है ।
- राज्य सभा संसद का उच्च सदन है।
- राज्य सभा में कुल 250 सदस्य होंगे ।

- जिनमे से 238 सदस्य राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों की विधान सभाओं से चुने जाएंगे और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाएगा जो कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा से संबंधित होंगे ।
- वर्तमान मे राज्य सभा मे सदस्य संख्या 245 है ।
- राज्य सभा के लिए सबसे अधिक सदस्य उत्तरप्रदेश से 31 , मध्यप्रदेश से 11
- राज्य सभा सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है लेकिन वह इससे पहले भी वह सभापति को अपना त्याग पत्र देकर सदस्यता छोड सकता है

कार्यकाल :–राज्य सभा एक स्थाई सदन है। वह कभी भंग नहीं होता क्योंकि इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद अवकाश ग्रहण कर लेते है और उनके स्थान पर अन्य सदस्य चुने जाते हैं ।

नोट :–राज्य सभा का सर्वप्रथम गठन 3 अगस्त 1952 को किया गया था ।

राज्य सभा सदस्य की योग्यताएं :–

1– भारत का नागरिक हो 2–30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो 3– किसी लाभ के पद पर न हो 4– पागल या दिवालिया न हो

- राज्य सभा के सदस्यों का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर राज्यों की विधान सभा के सदस्यों द्वारा होता है।
- राज्य सभा मे एक सभापति होता है जो कि भारत का उपराष्ट्रपति होता है ।
- राज्य सभा के उपसभापति को राज्य सभा के सदस्य मे से ही चुना जाता है ।
- वर्तमान में राज्यसभा के **सभापति मोहम्मद हामिद अंसारी** है ।
- राज्य सभा के उपसभापति **के. रहमान खान** है।
- उपसभापति समय से पूर्व सभापति को त्याग पत्र देकर पद से हट सकता है ।
- सभापति की अनुपस्थिति मे उपसभापति राज्य सभा की कार्यवाही का संचालन करता है ।
- राज्य सभा में विपक्षी दल के प्रथम नेता **कमलापति त्रिपाठी** थे ।
- वर्तमान में राज्य सभा के विपक्षी दल के नेता **अरूण जेटली** है ।
- राज्य सभा का वर्ष मे कम से कम दो बार अधिवेशन बुलाया जाना आवश्यक है । दोनों अधिवेशनों के बीच 6 महीने से अधिक का अंतर नही होना चाहिए ।
-

राज्य सभा की विशेष शक्तियां :–राज्य सभा को लोक सभा की तुलना मे कुछ विशेष शक्तियां प्राप्त है ।

1– अनुच्छेद 312 के अनुसार :–इसके तहत राज्य सभा नई अखिल भारतीय सेवाओं को प्रारम्भ करने का प्रस्ताव कर सकता है ।

2– अनुच्छेद 249 के अनुसार :–इसके तहत राज्य सभा राज्य सूची के किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करके कानून बनाने का अधिकार संसद को दे सकती है ।

लोकसभा :–

लोकसभा संसद का निम्न सदन है। लोकसभा का उल्लेख संविधान के **अनुच्छेद 81** में किया गया है । लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। जिनमे से 530 सदस्य राज्यों से और 20 सदस्य केन्द्र शासित प्रदेशों से चुने जाएंगे ।

अनुच्छेद 331 के अनुसार :–राष्ट्रपति एंग्लो इण्डियन समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है । केन्द्र शासित प्रदेशों की जनसंख्या कम होने के कारण वहां से केवल 13 सदस्य चुने जाते हैं। इसलिए वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या 545 है ।

- लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा होता है ।
- लोकसभा मे वर्तमान सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना के अनुसार किया गया है।
- 91 वे संविधान संसोधन के द्वारा 2026 तक इसमे कोई परिवर्तन नही किया जाएगा ।
- पहली लोकसभा के लिए आम चुनाव 1951–52 में हुआ था ।
- पहली लोकसभा का गठन 6 मई 1952 को हुआ था ।

लोकसभा का कार्यकाल :– लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर इससे पहले भी राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन कर सकता है ।

- संविधान के अनुसार लोकसभा 6 माह से अधिक समय के लिए किसी भी स्थिति मे विघटित नही रह सकती।
- आपातकालीन स्थिति मे लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है ।
- 5वी लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था ।
- अभी तक 15 बार लोकसभा का गठन हो चुका है ।
- एक वर्ष में लोकसभा का कम से कम 2 बार अधिवेशन (सत्र) होना आवश्यक है ।
- लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए ।

लोकसभा के पदाधिकारी :–लोकसभा मे एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होता है । इनका निर्वाचन लोकसभा सदस्यों मे से ही होता है ।

लोकसभा अध्यक्ष :–लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल एक बार अध्यक्ष चुने जाने के बाद आगामी लोकसभा की पहली बैठक तक रहता है । लेकिन इससे पूर्व ही लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्याग पत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को दे सकता है या लोकसभा में उसके विरूद्ध दो तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित हो जाने पर पद से हटना पड़ता है ।

- पहली बार लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष **गणेश वासुदेव मावलंकर** के विरूद्ध उन्हे पद से हटाने के लिए यह प्रस्ताव लाया गया था।
- लोकसभा उपाध्यक्ष का कार्यकाल लोकसभा के भंग होने पर ही समाप्त हो जाता है या उससे पूर्व ही लोकसभा उपाध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष को त्याग पत्र देकर हट सकता है या लोकसभा में उसके विरूद्ध प्रस्ताव पारित करके हटाया जा सकता है ।

- प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष **अनन्त शयनम अयंगर** थे ।
- वर्तमान मे लोकसभा अध्यक्ष **श्रीमती मीरा कुमार।**
- वर्तमान मे लोकसभा उपाध्यक्ष **करिया मुण्डा।**
- लोकसभा में प्रतिपक्ष की नेता **सुषमा स्वराज** है।
- लोकसभा अध्यक्ष का वेतन **1,25,000 रू प्रतिमाह** मिलता है ।
- अभी तक लोकसभा के किसी भी अध्यक्ष को उसके विरूद्ध प्रस्ताव पारित नही हुआ है । लेकिन जी,वी, मावलंकर,हुकुमसिंह और बलराम जाखड को हटाने के लिए लोकसभा में एक प्रस्ताव लाया गया था ।
- लोकसभा के लिए सबसे अधिक सीटे उत्तरप्रदेश में 80 हैं और **मध्यप्रदेश में 29** है ।

लोकसभा अध्यक्ष के कार्य और शक्तियां :–

1. लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा की कार्यवाही संचालित करने के लिए सदन में व्यवस्था और अनुशासन बनाये रखता है ।
2. वह संसद सदस्यों को लोकसभा में भाषण देने की अनुमति देता है ।
3. विभिन्न विधेयकों और प्रस्तावों पर मतदान करना और परिणाम घोषित करना किसी विषय पर मतो की समानता होने पर निर्णायक मत देने का अधिकार होना ।
4. कोई वित्त विधेयक धन विधेयक है या नही इसका निर्णय करना ।
5. लोकसभा और राज्य सभा संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करना ।

लोकसभा की विशेष शक्तियॉ :–

1. वित्तीय क्षेत्र मे लोकसभा को कुछ विशेष शक्तियां प्राप्त हैं ।
2. वित्त विधेयक केवल लोकसभा मे ही पेश किया जाता है
3. लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्य सभा मे 14 दिन में स्वीकृति देना अनिवार्य है, नही तो वह विधेयक स्वतः पारित माना जाता है ।
4. मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है
   - पहली बार 1989 में प्रधानमंत्री वी, पी, सिंह को लोकसभा मे विश्वास मत प्राप्त न होने की स्थिति मे पद से हटना पड़ा था

संसद सदस्यों के विशेष अधिकार :–

- संसद सदस्यों के विशेष अधिकार का वर्णन **अनुंच्छेद 105 और 194** में किया गया है
- संसद सदस्यों को अधिवेशन के दौरान या अधिवेशन के 40 दिन पहले या 40 दिन बाद दीवानी मामलों के संबंध में गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा और फौजदारी मामलों में बिना अध्यक्ष की अनुमति के संसद सदस्यों को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता ।
- संसद सदस्यों को सदन मे तथा उसकी समितियों में भाषण देने की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त है
- सदन की कार्यवाही को न्यायलय द्वारा जॉच किये जाने से रोकने का अधिकार है ।

संसद सदस्यों का वेतन :– संविधान के अनुच्छेद 106 के अनुसार प्रत्येक सदस्य को ऐसे वेतन और भत्ते प्राप्त करने का अधिकार होगा जिन्हें संसद समय–समय पर निर्धारित करेगी ।

- वर्तमान मे संसद सदस्यों का वेतन 50,000 रू, प्रतिमाह

संसद की शक्तियां और कार्य :–

1– **विधायी शक्तियां** – संविधान अनुच्छेद 107, 108, 245 के अनुसार संसद का एक महत्वपूर्ण कार्य विधि निर्माण करना है।

- संसद संविधान की 7 अनुसूची में वर्णित संघ सूची समवर्ती सूची के विषयों पर सम्पूर्ण देश के लिए कानून बना सकती है और केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए कानून बना सकती है ।

अनुच्छेद 252 के अनुसार :– जब दो या दो से अधिक राज्यों के विधान मण्डल प्रस्ताव पारित करके संसद से विधि निर्माण का अनुरोध करे तो संसद उनके लिए राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है।

2– **वित्तीय शक्तियॉ :–** संसद का देश की वित्तीय व्यवस्था पर पूरा नियंत्रण होता है ।

- संसद का भारत की संचित निधि पर पूरा अधिकार है ।
- आगामी वित्त वर्ष का बजट संसद में प्रस्तुत किया जाता है।

अनुच्छेद 265 के अनुसार :– मंत्री परिषद संसद की अनुमति के बिना न तो कर लगा सकती है, न ही वसूल कर सकती है और न ही व्यय कर सकती है ।

कार्यपालिका संबंधी शक्तियॉ :– संसद सदस्यों में से ही मंत्री परिषद का गठन किया जाता है ।

- मंत्री परिषद अपनी नीति और कार्यो के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होती है ।
- संसद सदस्य कई प्रस्तावों के माध्यम से मंत्री परिषद पर नियंत्रण रखती है ।

न्यायिक शक्तियॉ :– संसद को अपनी अवमानना और विशेष अधिकारों के उल्लघंन करने पर किसी भी व्यक्ति को दण्ड देने का अधिकार है ।

संसद की अनेक अधिकारी शक्तियां :–

- संसद राज्यों की सीमाओं नामों में परिवर्तन कर सकती है या नये राज्यो का गठन कर सकती है ।
- संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार है ।
- संसद सदस्यों को राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार है ।
- संसद को राष्ट्रपति सहित कई संवैधानिक पदाधिकारियों को उसके पद से हटाने का अधिकार है ।

संसदीय प्रक्रिया से संबंधित महत्वपूर्ण शब्द :–

Samiksha INSTITUTE GWALIOR 9826228312

1– गणपूर्ति (कोरम) :– संविधान के अनुच्छेद 100 में कोरम का उल्लेख किया गया है जिसके अनुसार किसी भी सदन की कार्यवाही उसी समय संचालित की जाएगी जब उसके कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग सदन में उपस्थित हो, नही तो उसकी कार्यवाही स्थगित कर दी जायेगी ।

संसदीय समितियॉ :–

(1) **प्राकलन समिति** :– इसमे लोक सभा के 30 सदस्य होते हैं ।

- इसमे राज्य सभा के सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता है ।
- इसका कार्य सरकारी अपव्यय को रोकने, प्रशासन में कुशलता और मितव्ययता की सिफारिश करना।

(2) **लोकलेखा समिति** :– इसमें 22 सदस्य होते हैं । जिनमें 15 लोकसभा से और 7 राज्य सभा से । इस समिति का अध्यक्ष विपक्ष के किसी सदस्य को बनाया जाता है ।इसका मुख्य कार्य C,A,G, की रिर्पोट की जॉच करना ।

सरकारी विधेयक :–जब कोई विधेयक मंत्री परिषद के सदस्यों द्वारा संसद के किसी सदन में प्रस्तुत किया जाता है तो उसे सरकारी विधेयक कहते है ।

गैर सरकारी विधेयक :–जब कोई विधेयक मंत्री परिषद के सदस्यों के अतिरिक्त संसद के किसी सदन के सदस्य के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है तो वह गैर सरकारी विधेयक कहा जाता है ।

संसद का संयुक्त अधिवेशन :–संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार :– यदि किसी विषय पर दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तो राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का प्रावधान है । अभी तक केवल 3 बार संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है –

(1) 1961 में दहेज प्रतिबंध विधेयक के लिए पं, जवाहरलाल नेहरू के समय । (2) 1978 में बैकिंग सेवा आयोग विधेयक के लिए मोरारजीदेसाई के समय । (3)2002 में आतंकवाद निवारक विधेयक (पोटा) अटलबिहारी वाजपेयी के समय

धनविधेयक :–धन विधेयक को संविधान के **अनुच्छेद 110** मे परिभाषित किया गया है ।

- कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय लोक सभा अध्यक्ष करता है ।
- धन विधेयक सदैव लोक सभा मे ही प्रस्तुत किया जाता है ।
- राज्य सभा धन विधेयक को न तो अस्वीकार कर सकता है और न ही इसमे कोई संशोधन कर सकती है ।

बजट :–संविधान के **अनुच्छेद 112** के अनुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु राष्ट्रपति द्वारा वित्त मंत्री के माध्यम से संसद में बजट प्रस्तुत करवाया जाता है ।

विनियोग विधेयक :–इसके माध्यम से संसद भारत सरकार को भारत के संचित निधि से धन निकालने की अनुमति देती है ।

- विनियोग विधेयक केवल लोकसभा मे ही पेश किया जाता है ।
- राज्य सभा विनियोग विधेयक को अपने यहां 14 दिनों से अधिक नही रोक सकती और न ही उसमें कोई संशोधन कर सकती ।

काम रोको प्रस्ताव :–किसी भी सदस्य द्वारा किसी सार्वजनिक महत्व के विषय पर चर्चा करने के लिए सदन की चल रही कार्यवाही को रोकने के लिए जो प्रस्ताव लाया जाता है उसे काम रोको प्रस्ताव कहा जाता है ।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव :–अध्यक्ष या सभापति की अनुमति से सदन का कोई सदस्य किसी सार्वजनिक महत्व पर मंत्री का ध्यान आकर्षित करता है या उस बारे में प्रश्न पूंछता है तो इसे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव कहते हैं ।

- ध्यानाकर्षण प्रस्ताव से संबंधित नियम 1954 में बनाया गया था ।
- यह प्रस्ताव 10 बजे लिखित रूप में दिया जाता है ।

स्थगन प्रस्ताव :–स्थगन प्रस्ताव पेश करने का मुख्य उद्देश्य किसी सार्वजनिक महत्व के मामले की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना है । जब यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है तब सार्वजनिक महत्व के मामले पर चर्चा के लिए सदन का नियमित कार्य रोक दिया जाता है ।

अविश्वास प्रस्ताव :–सरकार के प्रति अविश्वास प्रकट करने वाला यह प्रस्ताव अधिकतर विपक्षी सदस्य प्रस्तुत करते है। पहले इस पर बहस होती है और बाद में मतदान होता है ।

- यदि यह प्रस्ताव लोकसभा में पारित हो जाता है तो सरकार को त्यागपत्र देना पडता है ।
- जबकि राज्य सभा में प्रस्ताव पारित होने पर सरकार को नही हटना पडता ।

कटौती प्रस्ताव :–बजट की मांगों में कटौती हेतु रखे गये प्रस्ताव को कटौती प्रस्ताव कहते हैं ।

निन्दा प्रस्ताव :–निन्दा प्रस्ताव को विरोधी दल के नेता या अन्य सदस्यों द्वारा सरकार की नीतियों की आलोचना करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है ।निन्दा प्रस्ताव के पारित हो जाने पर सरकार को त्याग पत्र नहीं देना पडता ।

विशेषाधिकार प्रस्ताव :–यह प्रस्ताव संसद के किसी सदस्य द्वारा उस समय प्रस्तुत किया जाता है जब उसे यह प्रतीत हो कि मंत्रीपरिषद के किसी सदस्य ने संसद को झूठा तथ्य प्रस्तुत करके सदन के विशेषाधिकार का उल्लघंन किया है ।

शून्यकाल :–संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के तत्काल बाद का समय शून्यकाल के नाम से जाना जाता है ।

- यह 12 बजे से 1 बजे तक होता है
- शून्यकाल में किसी पूर्व सूचना के महत्वपूर्ण विषय को उठाया जाता है ।

तारांकित प्रश्न :–उस प्रश्न को तारांकित प्रश्न कहा जाता है जिसका उत्तर संसद सदस्य मंत्री से सदन में चाहता है ।

अतारांकित प्रश्न – इस प्रश्न का उत्तर सदन में नही दिया जाता और न ही इन पर अनपूरक प्रश्न पूछे जा सकते है ।

संसद में विपक्षी दल :–संसद में उस दल को विपक्षी दल के रूप में मान्यता दी जाती है । जिसे सदन के कुल सदस्यों में से कम से कम 1/10 सदस्य उसी दल के हो और उस दल के नेता को विपक्षी दल का नेता कहा जाता है ।

- सबसे पहले 1969 मे राम सुभग सिंह को लोकसभा मे विपक्ष के नेता के रूप मे मान्यता मिली ।
- इसके बाद 1977 मे कांग्रेस के यंशवंत राव चव्हाण को लोक सभा में और कमलापति त्रिपाठी को राज्य सभा मे विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता दी गई ।

Samiksha INSTITUTE GWALIOR 9826228312

- अभी वर्तमान मे 15वीं लोकसभा मे श्रीमती सुषमा स्वराज को विपक्षी दल के नेता के रूप मे और राज्य सभा मे अरूण जेटली को मान्यता प्राप्त है ।

भारत मे न्यायपालिका :–भारत मे एकीकृत न्यायपालिका है । संघ स्तर पर उच्चतम न्यायालय और राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय है ।

उच्चतम न्यायालय :–संविधान के **अनुच्छेद 124** में उच्चतम न्यायालय के गठन के संबंध मे प्रावधान है ।

- सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, गठन और शक्तियों से संबंधित कानून बनाने का अधिकार भारतीय संसद को प्राप्त है ।
- वर्तमान मे सुप्रीम कोर्ट मे एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश होगें । इस प्रकार कुल न्यायाधीशों की संख्या 31 होगी ।
- उच्चतम न्यायालय की मुख्य खण्डपीठ नई दिल्ली मे है । लेकिन राष्ट्रपति मुख्य न्यायधीश की सलाह पर देश मे कही भी इसकी खण्डपीठ स्थापित कर सकता है ।

न्यायधीश पद की योग्यताऐं :–

1,भारत का नागरिक हो 2,किसी भी उच्च न्यायालय में लगातार 5 वर्षों तक न्यायधीश रहा हो या उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक बकालत की हो । 3,राष्ट्रपति की राय में विधि का ज्ञाता हो ।

नियुक्ति :–सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है।

- अनुच्छेद 126 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति मे राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के किसी वरिष्ठतम न्यायाधीशों को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकता है ।

तदर्थ न्यायाधीश :–**अनुच्छेद 127 के अनुसार** – स्थाई न्यायधीशों के अभाव या कार्य अधिक हो जाने के कारण, मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए मुख्य न्यायधीश राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है ।

शपथ :–राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एंव अन्य न्यायाधीशों को शपथ दिलाता है ।

कार्यकाल :–सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बना रहता है ।

- जबकि मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र तक इनमें से जो पहले हो लेकिन इससे पूर्व भी न्यायाधीश राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देकर अपने पद से हट सकता है या असमर्थता या कदाचार के आरोप में संसद के दोनों सदनों में उसके विरूद्ध 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित हो जाने से राष्ट्रपति के आदेश से हटाया जा सकता है ।
- सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश **हीरालाल जे. कानिया** थे ।
- वर्तमान में **मुख्य न्यायधीश एस.एच कपाडिया** है ।

नोट :–सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश देश के किसी भी न्यायालय में वकालत नही कर सकता है ।

वेतन :–मुख्य न्यायाधीश को **100000 रू,** और अन्य न्यायाधीश को **90000 रू,**

सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियॉ और अधिकार :–

(1) **प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार** :– अनुच्छेद 131 मे सुप्रीम कोर्ट को निम्न मामलों में प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं ।

(1) भारत संघ या एक या अधिक राज्यों के बीच उत्पन्न विवादों में
(2) भारत संघ तथा कई राज्य एक और तथा एक या अधिक राज्य दूसरी और के बीच विवादों में ।
(3) दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवादों में ।

(2) **अपीली क्षेत्राधिकार** :–उच्चतम न्यायालय देश का सबसे बड़ा अपीली न्यायालय है । इसे भारत के सभी उच्च न्यायालयों के निर्णय के विरूद्ध अपील सुनने का अधिकार है ।

(1) संविधानिक मामले में (132 अनुच्छेद में)
(2) दीवानी मामलों में (133 अनुच्छेद में)
(3) अपराधिक मामले में । (134 अनुच्छेद में)

(4)**विशेष आज्ञा से अपील** :– जब उच्चतम न्यायालय अपने विवके से किसी उच्च न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा किसी मामले में दिए गए निर्णय के विरूद्ध अपील करने की अनुमति दे तब सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है ।

(3)**संविधान का संरक्षक** :–संसद द्वारा बनाये गये किसी ऐसे कानून को अवैध घोषित कर सकता है जो संविधान का उल्लघंन कर सकता है ।

(4)**मौलिक अधिकारों का संरक्षक** :–किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लघंन होने पर वह सीधे सुप्रीम कोर्ट में न्याय के लिए जा सकता है अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए 5 रिटें जारी करने का अधिकार है ।

(5)**परामर्शीय शक्ति** :–**अनुच्छेद 143** के तहत राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के लिए विधिक प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांग सकता है लेकिन राष्ट्रपति इस सलाह को मानने के लिए बाध्य नही हो और न ही उच्चतम न्यायालय सलाह देने के लिए बाध्य है ।

(6)**न्यायिक पुनर्वालोकन का अधिकार** :–**अनुच्छेद 137** के अनुसार उच्चतम न्यायालय को संसद या विधान मंडलों द्वारा पारित किसी अधिनियम, कार्यपालिका द्वारा दिये गए आदेश, उच्च न्यायालय द्वारा दिए निर्णय तथा स्वयं अपने द्वारा दिए गए निर्णय का पुनर्वालोकन करने का अधिकार है ।

(7)**अंतरण का अधिकार** :–सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट में लंबित मामलों को निर्णय के लिए अपने पास मंगा सकता है

- सुप्रीम कोर्ट किसी हाई कोर्ट में लंबित मुकदमों को दूसरे हाई कोर्ट को अंतरित कर सकता है ।

(8.) अभिलेखीय न्यायालय :–**अनुच्छेद 129** के अनुसार भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेखीय न्यायालय है

- इसके अनुसार सुप्रीम कोर्ट को अपनी कार्यवाही और निर्णय को लिखित रूप में रखने का अधिकार है
- और इन अभिलेखों को देश के किसी भी न्यायालय में प्रमाण के रूप में मान्य किया जाएगा

Samiksha INSTITUTE, GWALIOR

- सुप्रीम कोर्ट को अवमानना के लिए दण्डित करने का अधिकार है ।

(9.)अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण की शक्ति :–सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाये गये कानून देश के सभी न्यायालयों पर लागू होते हैं उसे समस्त अधीनस्थ न्यायालयों की जॉच करने का भी अधिकार है ।

नोट :–(1) सुप्रीम कोर्ट को राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों का निर्णय करता है । (2) न्यायधीशों के आचरण पर संसद में बहस नहीं की जा सकती ।

हाईकोर्ट :–संविधान के अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा लेकिन संसद दो या दो से अधिक राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए एक संयुक्त उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकता है ।

- इस समय देश में कुल 21 उच्च न्यायालय हैं
- **जिनमें से 6 संयुक्त उच्च न्यायालय हैं –**
  1. मुम्बई हाईकोर्ट – महाराष्ट्र, गोवा, दादर, नगर हवेली, दमणदीव
  2. कोलकाता हाईकोर्ट –पश्चिम बंगाल और अण्डमान निकोबार द्वीप समूह
  3. गोहाटी हाईकोर्ट – असम, मेघालय, नागालैण्ड, त्रिपुरा, मिजोरम, अरूणाचलप्रदेश, मणिपुर
  4. एर्नाकुलम हाईकोर्ट – केरल और लक्षद्वीप
  5. चण्डीगढ हाईकोर्ट – पंजाब , हरियाणा और चण्डीगढ
  6. चैन्नई हाईकोर्ट – तमिलनाडू और पाण्डिचेरी
  - केन्द्र शासित प्रदेशों में केवल दिल्ली का ही अलग से उच्च न्यायालय है।
  - देश में सबसे पहले 1862 में मुम्बई , कोलकाता , मद्रास में हाई कोर्ट स्थापित हुआ ।
  - मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना 1956 में जबलपुर में हुई थी ।
  - इसकी दो खण्डपीठ है– ग्वालियर और इन्दौर

नये राज्यों के हाईकोर्ट :–

छत्तीसगढ़	–	बिलासपुर में
उत्तराखण्ड	–	नैनीताल में
झारखण्ड	–	रांची में

न्यायधीशों की नियुक्ति :–प्रत्येक उच्च न्यायलय में एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश होते है ।

- मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से करता है और अन्य न्यायधीशों की नियुक्ति के लिए इस प्रक्रिया के अतिरिक्त संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधीश से भी राष्ट्रपति द्वारा सलाह ली जाती है ।
- देश में सबसे अधिक न्यायधीशों की संख्या इलाहाबाद हाईकोर्ट में है और सबसे कम 3 न्यायधीश गोहाटी हाईकोर्ट में है ।
- देश के सभी उच्च न्यायालयों के न्यायधीशों की संख्या 877 है ।
- मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के प्रथम प्रमुख न्यायधीश **मों, हिदायतुल्ला** थे ।
- वर्तमान में म, प्र, के मुख्य न्यायाधीश **सैयद रफत आलम** हैं।

न्यायाधीश पद की योग्यताएं :–1. भारत का नागरिक हो 2. 62 वर्ष की उम्र से अधिक न हो 3. 10 वर्ष तक किसी न्यायिक पद पर रह चुका हो या 10 वर्ष तक 1 या 1 से अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार तक वकालत कर चुका हो या राष्ट्रपति की दृष्टि में विधि का ज्ञाता हो ।

शपथ :–हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ राज्यपाल द्वारा दिलाई जाती है ।

कार्यकाल :–हाई कोर्ट का न्यायाधीश 62 वर्ष की उम्र तक कार्य करता है ।

- जबकि मुख्य न्यायाधीश 6 वर्ष या 62 वर्ष की उम्र तक लेकिन इससे पहले भी वे राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकते हैं या असमर्थतता , कदाचार के आरोप में संसद में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित हो जाने से राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है ।

नोट :–सेवा निवृत्ति के बाद उच्च न्यायालय का न्यायधीश सुप्रीम कोर्ट और अन्य उच्च न्यायालयों को छोडकर
भारत के किसी न्यायालय या किसी न्यायाधिकरण में वकालात नहीं कर सकता है ।

वेतन :–मुख्य न्यायधीश को 90000 रू, और अन्य न्यायधीश को 80000 रू,

उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार और शक्तियॉ :–

1. **अपीली क्षेत्राधिकार** :–हाई कोर्ट को अपने अधीनस्थ सभी न्यायालयों और न्यायाधिकरणों के निर्णयों, आदेशों के विरूद्ध अपील सुनने का अधिकार है ।
2. **प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार** :–1/ राजस्व संग्रह के संबंध में

2/**मौलिक अधिकारों के संबंध में** :–**अनुच्छेद 226** के अनुसार मौलिक अधिकारों के उल्लघंन के मामले में उच्च न्यायालय के द्वारा रिट जारी की जा सकती

3/ सांसदों , विधायकों और स्थानीय निकायों के सदस्यों के निर्वाचन के विवाद के संबंध में उच्च न्यायालय मे याचिका दायर की जा सकती है ।

4/ हाई कोर्ट अभिलेखीय न्यायालय के रूप में कार्य करता है इसी के तहत उसे न्यायालय की अवमानना के लिए उसे दण्ड देने का अधिकार है ।

भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (C.A.G.) :–

अनुच्छेद 148 के अनुसार सी, ए, जी, केन्द्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के वित्तीय प्रणाली का नियंत्रक होता है

- सी, ए, जी, की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है ।
- इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है ।
- वर्तमान में सी, ए, जी, **विनोद रॉय** है ।

Samiksha INSTITUTE GWALIOR 9826228

संविधान का भाग – 6

राज्य की कार्यपालिका :–राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल और उसके मंत्री मण्डल को शामिल किया जाता है ।

राज्यपाल :– **अनुच्छेद 153** के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा किन्तु एक से अधिक राज्यों के लिए एक ही व्यक्ति को राज्यपाल बनाया जा सकता है।

- अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में मौजूद होती है ।

नियुक्ति :–राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है ।

योग्यताएं :–1, भारत का नागरिक हो 2, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो 3, किसी लाभ के पद पर न हो
4, राज्य के विधान संभा का सदस्य चुनने की योग्यता रखता हो

शपथ :–राज्यपाल को उसके पद की शपथ उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है

कार्यकाल :–राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है ।

- लेकिन राष्ट्रपति इससे पहले भी राज्यपाल को पद से हटा सकता है ।

वेतन :– 1.10 लाख रूपए

राज्यपाल की शक्तियॉ और कार्य :–राज्यपाल संवैधानिक रूप से राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है ।
1.राज्यपाल राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है । 2.राज्य के अधिवक्ता की नियुक्ति करता है । 3.राज्य लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है ।

विधायी शक्तियॉ :–कोई भी विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद कानून बनता है ।

- विधान सभा का सत्र बुलाने का अधिकार राज्यपाल को होता है ।
- सत्रावसान करने का अधिकार भी राज्यपाल को है ।
  अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल को राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी करने का अधिकार है ।

राज्यपाल के वित्तीय अधिकार :–राज्यपाल अगले वर्ष का बजट विधान सभा में पेश करवाता है ।

राज्यपाल की आपात कालीन शक्तियॉ :–अनुच्छेद 356 के अनुसार राज्यपाल की रिपोर्ट पर राष्ट्रपति राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है ।

- म, प्र, के पहले राज्यपाल वी पटटाभिसीतारमैया थे ।
- वर्तमान में म, प्र, के राज्यपाल रामेष्वर ठाकुर हैं ।

मुख्यमंत्री (chief minister):–मुख्यमंत्री राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है ।

- मुख्य मंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है ।
- राज्यपाल ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करता है जो विधान सभा में बहुमत दल का नेता होता है ।
- राज्यपाल गैर विधान सभा सदस्य को भी मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त कर सकता है लेकिन उसे 6 महीने के अन्दर विधान सभा का सदस्य बनना अनिवार्य है ।
- मुख्यमंत्री विधानसभा में विश्वास मत प्राप्त होने तक पद पर रह सकता है ।
- अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्य मंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है ।

कार्य और शक्तियॉ :–मंत्री परिषद के सभी सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श पर करता है ।
मुख्यमंत्री को मंत्री परिषद के सदस्यों का चयन करने का अधिकार होता है । मुख्यमंत्री किसी भी मंत्री के विभाग को बदल सकता है । मुख्यमंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है । मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों की सूचना राज्यपाल को देता है । मुख्यमंत्री राज्य योजना मण्डल का पदेन अध्यक्ष होता है ।

- म,प्र, के प्रथम मुख्यमंत्री **पं, रविशंकर शुक्ल** थे ।
- वर्तमान में **शिवराज सिंह चौहान** हैं ।
- सबसे लम्बी अवधि के लिए मुख्यमंत्री रहे दिगविजय सिंह ।
- म, प्र, के सबसे कम समय के लिए मुख्यमंत्री राजा नरेशचन्द्र सिंह थे ।

राज्य की मंत्रिपरिषद :–

- **अनुच्छेद 163 के अनुसार** राज्यपाल की सहायता करने के लिए एक मंत्री परिषद होगी।
- उसका प्रमुख मुख्यमंत्री होगा ।
- मंत्री परिषद के सदस्यों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा की जाती है ।
- मंत्री परिषद का सदस्य होने के लिए व्यक्ति को विधान मण्डल का सदस्य होना अनिवार्य है। यदि नहीं है तो उसे 6 महीने के अन्दर विधान मण्डल का सदस्य हो जाना चाहिए ।
- मंत्री परिषद में 3 स्तर के मंत्री होते हैं – 1. केबीनेट मंत्री 2. राज्य मंत्री 3. उपमंत्री
- मंत्री परिषद के सदस्य राज्यपाल के सामने अपने पद की शपथ लेते हैं ।

राज्य विधान मण्डल :–राज्य विधान मण्डल का उल्लेख संविधान के **अनुच्छेद 168** में है । यह राज्यपाल , विधान परिषद और विधान सभा से मिलकर बना है ।

- संविधान के अनुसार राज्य विधान मण्डल में एक सदन भी हो सकता है और दो सदन भी हो सकते है यह राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है ।

Samiksha INSTITUTE, GWALIOR 9826228312

राज्य विधान परिषद :–**अनुच्छेद 169 के अनुसार** राज्य विधान परिषद विधान मण्डल का उच्च एवं स्थाई सदन है । इनकी सदस्य संख्या कम से कम 40 और अधिक से अधिक विधान सभा सदस्य की संख्या 1/3 होती है ।

- भारत के केवल 7 राज्यों में विधान परिषद है ।

Jumbka T

J	=	jammu and Kashmir	U	=	u.p.	T	= Tamilandu
M	=	maharastra	B	=	Bihar		
K	=	Karnataka	A	=	andhra pradesh		

विधान सभा – विधान सभा राज्य विधान मण्डल का निचला सदन माना जाता है ।विधान सभा का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 170 में किया गया है । किसी भी राज्य की विधान सभा में 500 से अधिक और 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते ।

लेकिन अरुणाचल प्रदेश (40), गोवा (40), मिजोराम (40), सिक्किम (32), और पुदुचेरी में (30), इसके अपवाद है ।

- सबसे अधिक **उत्तर प्रदेश विधान सभा** में सदस्य संख्या 403 है ।
- **मध्य प्रदेश में विधान सभा में 230 सदस्य** है ।
- जम्मू कश्मीर विधान सभा में सदस्यों की संख्या 100 है लेकिन 24 चुनाव क्षेत्र पाकिस्तान द्वारा अधिकृत क्षेत्र में है ।
- विधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा होता है ।
- राज्यपाल विधान सभा में एक एग्लो इंडियन सदस्य को मनोनित कर सकता है ।

विधान सभा सदस्य की योग्यताएँ –

1.भारत का नागरिक हो । **2**. 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो ।
3. किसी लाभ के पद पर न हो। 4.पागल या दिवालिया न हो।

कार्यकाल – सभी राज्यों की विधान सभा का कार्यकाल **5 वर्ष** होता है। लेकिन इससे पूर्व भी मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल विधान सभा को भंग कर सकता है।राष्ट्रीय आपात घोषित होने की स्थिति में विधान सभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढाया जा सकता है।

पदाधिकारी – अनुच्छेद 178 के अनुसार विधान सभा के सदस्यों में से ही एक को अध्यक्ष और एक को उपाध्यक्ष चुना जाता है।अध्यक्ष अगली विधान सभा के गठन के पूर्व तक अपने पद पर बना रहता है।तथा उपाध्यक्ष विधान सभा के विघटन के साथ ही हट जाता है।विधान सभा अध्यक्ष अपने कार्यकाल से पूर्व ही उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र दे सकता है।साथ ही इन्हें विधान सभा के सदस्यों के द्वारा प्रस्ताव पारित करके पद से हटाया जा सकता है।लेकिन ऐसा प्रस्ताव पेश करने के 14 दिन पूर्व उन्हें सूचना दी जानी चाहिए।म.प्र. विधान सभा के पहले अध्यक्ष **पं कुंजीलाल दुबे** थे। वर्तमान में म.प्र. विधान सभा के अध्यक्ष ईश्वर दास रोहाणी और उपाध्यक्ष रघुवंश सिंह।

विधान सभा की शक्तियॉ –

विधायी शक्तियॉ – राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनान का अधिकार है।

वित्तीय शक्तियॉ –राज्य के आगामी वर्ष के वार्षिक बजट को विधान सभा में प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक केवल विधान सभा में ही प्रस्तुत किया जाता है।

चुनाव सम्बन्धी शक्तियॉ – राज्य विधान सभा के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते है। राज्य विधान सभा के सदस्यों को विधान परिषद के 1/3 सदस्यों का निर्वाचन करने का अधिकार है।

कार्यपालिका सम्बन्धी शक्तियॉ –मंत्रीपरिषद सामूहिक रुप से विधान सभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यानि कि विधान सभा में ही सरकार के प्रति अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है।

राज्य विधान मण्डल की शक्तियो पर प्रतिबंध –

1.आपातकाल के दौरान राज्य विधान मण्डल को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार नहीं रहता है। इस दौरान विधि निर्माण की शक्ति संसद में निहित हो जाती है।

2. राज्य विधान मण्डल राज्य सूची के कुछ विषयों पर राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना विधि निर्माण नहीं कर सकती है।

जैसे – अन्तर्राज्यिक व्यापार के सम्बन्ध में कानून।

3.अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्य सभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाने का अधिकार दे सकती है।

जम्मू कश्मीर राज्य के सम्बन्ध में विशेष प्रावधान –

- संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष स्थिति प्रदान की गई है।
- जम्मू कश्मीर राज्य में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। और जम्मू कश्मीर राज्य का अपना अलग संविधान है।
- जम्मू कश्मीर राज्य का संविधान 26 नवम्वर 1957 को लागू हुआ था।

केन्द्र शासित प्रदेशो का प्रशासन –भारतीय संविधान के मूल भाग में राज्यों को A, B, C, D, चार वर्गो में वाटा गया था। लेकिन राज्य पुर्नगठन अधिनियम 1956 में इन वर्गो को समाप्त कर दिया गया था।और इनके स्थान पर राज्य और केन्द्रशासित प्रदेश बनाये गये।
वर्तमान में 7 केन्द्रशासित प्रदेश है।

- अनुच्छेद 239 (1) के अनुसार प्रत्येक केन्द्रशासित प्रदेश का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा किया जायेगा।
- इनका प्रशासन राष्ट्रपति अपने द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से करता है।
- सभी केन्द्रशासित प्रदेश मूल रुप में एक वर्ग के है।किन्तु इनके प्रशासन की प्रणाली में काफी अन्तर है।
- दिल्ली और अण्डमान निकोबार द्वीप के प्रमुख पदाधिकारी को उपराज्यपाल कहा जाता है।

- चण्डीगढ का प्रशासक मुख्य आयुक्त कहलाता है।
- दमण और दीव दादरा, और नागर हवेली, लक्षद्वीप के प्रमुख पद्धिकारी को प्रशासक (administrater कहा जाता है।
- 69 वे संविधान संशोधन 1991 के बाद 1 फरवरी 1992 से केन्द्रशासित प्रदेश दिल्ली का नाम
- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली हो गया है।
- संविधान द्वारा केन्द्रशासित प्रदेश के प्रशासक को अध्यादेश जारी करने की षक्ति दी गई है।लेकिन इस षक्ति का प्रयोग वह राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद ही कर सकता है।
- प्रशासक द्वारा जारी अध्यादेश को विधान मण्डल के समक्ष रखना आवश्यक होता है।

केन्द्रशासित प्रदेशों के लिए विधान सभा और विधान परिषद –अनुच्छेद 239 (A) के अनुसार संसद विधि द्वारा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विधान सभा या विधान परिषद या दोनों का सृजन कर सकेगी।

- इस व्यवस्था के तहत **1963 में पांण्डचेरी** में 30 सदस्यी विधान सभा और **1991 में दिल्ली** में 70 सदस्यी विधान सभा का गठन किया गया।
- ये विधान सभायें राज्य सूची के सभी विषयों पर कानून नहीं बना सकती। बल्कि इनकी शुरुआत करते समय राज्य सूची के विषयों का उल्लेख कर दिया जाता है।
- अनुच्छेद 240 के अनुसार राष्ट्रपति को दिल्ली और पाण्डीचेरी को छोडकर संघ राज्य क्षेत्रों की
- शान्ति प्रगति और सुशासन के लिए नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है।

केन्द्र राज्य सम्बन्ध –**संविधान के 11 और 12 भाग में अनुच्छेद 245 से अनुच्छेद 300** में केन्द्र राज्य सम्बन्धों के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान का स्वरुप संघात्मक है। लेकिन इसकी आत्मा एकात्मक है। इसमें केन्द्र राज्य सम्बन्ध संघवाद की और उन्मुक्त है। भारतीय संविधान में संघवाद की प्रणाली को कनाडा के संविधान से ग्रहण किया गया है। भारतीय संविधान में केन्द को राज्यों की तुलना में अधिक अधिकार प्रदान किये गये है। भारतीय संविधान में केन्द और राज्यों के बीच विधायी प्रशासनिक और वित्तीय कार्यों और शक्ति के विभाजन का उल्लेख विस्तृत रुप से किया गया है।

केन्द्र राज्यों के बीच विधायी सम्बन्ध – संघात्मक शासन की मुख्य विशेषता संविधान में केन्द्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया जाना है। संसद को सम्पूर्ण देश के लिए कानून बनाने का अधिकार होता है। जबकि राज्य विधान मण्डल को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार होता है।

- भारतीय संविधान मे तीन सूचियों को शामिल करके केन्द्र और राज्यो के बीच शक्ति विभाजन किया गया है। इन तीनों सूचियों को 1935 के अधिनियम से लिया गया है।

संघ सूची – इसमें 99 विषय है जो राष्ट्रीय महत्व के है और जिन पर कानून बनाने का एकमात्र अधिकार संसद कों है।
इसके मुख्य विषय रक्षा, विदेशी मामले, युद्व, बैंकिंग व्यवस्था , नागरिकता , जनगणना , विदेशी ऋण , डाक एवं तार विदेशी व्यापार , रेल , वायु , और जल परिवहन , आयात शुल्क, सीमा शुल्क , निर्यात शुल्क , आदि।

राज्य सूची –राज्य सूची में 61 विषय है जो स्थानीय महत्व के है और जिन पर कानून ब नाने का एक मात्र अधिकार राज्य विधान मण्डल को है। लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में संसद भी इस सूची में शामिल विषयों पर कानून बना सकती है।

राज्य सूची के प्रमुख विषय –कृषि, वन, लोक सेवा, जेल, स्थानीय शासन, भू राजस्व, लोक स्वास्थ्य, क्रय विक्रय, सिंचाई, परिवहन आदि।

समवर्ती सूची – इसमें 52 विषयों को शामिल किया गया है। इन पर कानून बनाने का अधिकार संसद और राज्य विधान मण्डल दोनों को है। समवर्ती सूची के विषय पर संसद और राज्य विधान मण्डल द्वारा बनाये गये कानूनों में यदि विराधाभास है तो संसद द्वारा निर्मित कानून लागू होगा।

इसके महत्वपूर्ण विषय –परिवार नियोजन ,सामाजिक आर्थिक योजना, समाचार पत्र, शिक्षा, श्रम कल्याण, कारखाना आदि।

अवशिष्ट शक्तियॉ –अमेरिका और आस्ट्रेलिया के संविधान में अवशिष्ट शक्तियॉ राज्यो को प्रदान की गई है। लेकिन हमारा संविधान कनांडा के संविधान का अनुसरण करते हुए अवशिष्ट शक्तियॉ केन्द्र को देता है।
अनुच्छेद 248 के अनुसार अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत वे विषय आते है जिनका उल्लेख किसी भी सूची में नहीं किया गया है। यदि किसी अवशिष्ट विषय के संबंध में यह विवाद है कि वह अवशिष्ट शक्ति के अर्न्तगत है या नहीं इसका निर्धारण सर्वोच्च न्यायालय करेगा।

विशिष्ट परिस्थितियों में संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार –राज्य सभा को यह अधिकार प्राप्त है कि वह राज्य सूची के विषय पर 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पारित करके कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में आवश्यक है।

अनुच्छेद 250 के अनुसार –जब राष्ट्रपति द्वारा धोषित की गई राष्ट्रीय आपात लागू हो तो संसद को राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त होगी।

अनुच्छेद 252 के अनुसार –दो या दो से अधिक राज्यों के राज्य विधान मण्डल संसद से राज्य सूची के किसी विषय पर उनके सम्बन्ध मे कानून बनाने का अनुरोध करे तो संसद ऐसा कानून बना सकेगी।

अनुच्छेद 253 के अनुसार –संसद किसी अन्तर्राष्ट्रीय संधि समझौते या निकाय को मान्यता देने के लिए कोई कानून बनाती है तो यह मान्य होगा, चाहे ऐसा विषय राज्य सूची में वर्णित विषयों में ही क्यों न हो।

अनुच्छेद 356 (1) B के अनुसार –किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाने पर उस राज्य के सम्बन्ध मे राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राष्ट्रपति द्वारा संसद को प्रदान कर दिया जाता है।

अनुच्छेद 200 और 201 के अनुसार – राज्यपाल राज्य विधान मण्डल द्वारा राज्य सूची के किसी भी विषय पर पारित किसी भी अधिनियम को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है।

केन्द्र और राज्य के बीच प्रशासनिक सम्बन्ध –जिन विषयों पर संसद को कानून बनाने का अधिकार है उन विषयों पर प्रशासन करने की शक्ति अनुच्छेद 73 के अनुसार केन्द्र सरकार को प्राप्त होगी।

इसी प्रकार अनुच्छेद 162 के अनुसार –राज्य विधान मण्डल द्वारा बनाये गये कानूनों पर प्रशासनिक शक्ति राज्य सरकार को प्राप्त होगी।

केन्द्र सरकार का राज्यों पर नियंत्रण –राज्य सरकार को निर्देश देने के हमारे संविधान में अनेक ऐसे प्रावधान है जिनके सम्बन्ध में केन्द्र समय समय पर राज्यों को उचित निर्देश दे सकता है।

अनुच्छेद 256 के अनुसार –केन्द्र के कानूनों का राज्यों द्वारा पालन।

अनुच्छेद 257 के अनुसार –संघ की कार्यपालिका शक्ति का किसी राज्य द्वारा अतिक्रमण न करना।

अनुच्छेद 351 के तहत– हिन्दी भाषा के विकास के लिए निर्देश देना।

अनुच्छेद 355 के अनुसार – केन्द्र यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार चलेगी।

अखिल भारतीय सेवायें –I.A.S. और I.P.S.जैसी अखिल भारतीय सेवाओं की भर्ती संघ लोक सेवा आयोग द्वारा की जाती है। और इन सेवाओं पर केन्द्र का पूर्ण नियंत्रण होता है।जबकि इन सेवाओं के अधिकारी राज्यों में उच्च पदों पर कार्य करते है।

सहायता अनुदान – अनुच्छेद 275 के अनुसार केन्द्र सरकार राज्यों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उन्हें आर्थिक सहायता देती है। यह आर्थिक सहायता देते समय केन्द्र सरकार राज्यों को आवश्यक निर्देश और आदेश देती है।

अन्तर्राज्यीय परिषद – अनुच्छेद 263 के अनुसार राज्यों के बीच विवादों को निपटाने तथा केन्द्र और राज्यों के समान हितो की रक्षा करने के लिए राष्ट्रपति अन्तर्राज्यी परिषद की स्थापना कर सकता है। सरकारिया आयोग के सुझाव के अनुसार 1990 में एक अन्तर्राज्यी परिषद की स्थापना की गई है।

जल सम्बन्धी विवादों का निपटारा –अनुच्छेद 262 के अनुसार संसद विभिन्न राज्यों के बीच नदियों के जल के प्रयोग, वितरण, और नियंत्रण के लिए कानून बना सकती है।

संघीय कार्यों को राज्य सरकार को सौपना –अनुच्छेद 258 (1) के अनुसार राष्ट्रपति राज्य सरकार को संघीय कार्यो को पूरा करने का आदेश दे सकता है।

अनुच्छेद 356 के अनुसार –राज्यपाल की रिपोर्ट पर राष्ट्रपति किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है।

केन्द्र और राज्यो के बीच वित्तीय सम्बन्ध – संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 264 से 300 तक केन्द्र राज्य सरकारों के बीच वित्तीय संसाधनों के विभाजन का विवरण दिया गया है।

संघ सूची में 12 विषय और राज्य सूची में 19 विषय वित्तीय अधिकारों से सम्बन्धित है।

संघ के प्रमुख राजस्व स्त्रोत –सीमा शुल्क , निगम कर , निर्यात कर, सम्पदा कर , विदेशी ऋण, शेयर बाजार , आय कर , उत्पाद शुल्क आदि।

राज्यों के प्रमुख राजस्व सत्रोत – भू – राजस्व , उत्तराधिकार शुल्क , स्टाम शुल्क , कृषि भूमि पर कर, सम्पदा शुल्क , विक्रय कर विद्युत उपभोग पर कर, मनोरंजन कर।

अनुच्छेद 268 के अनुसार –ऐसे कर जो केन्द्र द्वरा लगाये जाते है किन्तु राज्यों द्वारा एकत्रित किये जाते है। और राज्य ही इनका उपयोग करता है। जैसे – दवाईया और श्रंगार की वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क।

अनुच्छेद 269 के अनुसार –कुछ ऐसे कर है जो संघ द्वारा आरोपित और एकत्रित होते है। किन्तु वह राज्यों को सौप देता है। जैसे – उत्तराधिकार कर , सम्पत्ति कर , समाचार पत्र कर आदि।

अनुच्छेद 270 और 272 के अनुसार – कुछ ऐसे कर है जो संघ द्वारा आरोपित और एकत्रित किये जाते है किन्तु संघ और राज्यों के बीच वितरित किये जाते है। जैसे – आय कर , उत्पाद शुल्क ,

सहायता अनुदान – अनुच्छेद 275 के अनुसार संसद को उन राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की शक्ति प्राप्त है। इस प्रकार के अनुदान वित्त आयोग की सिफारिश पर दिये जाते है।

अनुच्छेद 282 के अनुसार – केन्द्र को राज्यों के अन्तर्गत संस्थाओं के लिए सार्वजनिक उद्देश्य हेतु अनुदान देने की शक्ति है।

केन्द्र द्वारा ऋण लेना – अनुच्छेद 292 के अनुसार केन्द्र सरकार देशवासियों से या विदेशी सरकारों से अपनी संचित निधि की साख पर ऋण ले सकती है।

राज्यों द्वरा उधार लेना – अनुच्छेद 293 के अनुसार किसी भी राज्य सरकार को भारत के राज्य क्षेत्र में उधार लेने की शक्ति है। इस प्रकार का कर्ज देते समय केन्द्र सरकार किसी भी प्रकार की शर्त लगा सकती है।

आपातकाल में वित्तीय सम्बन्ध – वित्तीय आपात काल में राष्ट्रपति को किसी भी प्रकार के वित्तीय निर्देश भेज सकता है।

वित्त आयोग – अनुच्छेद 280 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा निर्मित वित्त अयोग केन्द्र व राज्यों के बीच करों के बटवारे का निर्धारण करता है।

भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक –इस पदाधिकारी के माध्यम से केन्द्र सरकार राज्यों के आय व्यय पर नियंत्रण रखती है।

नोट – केन्द्र राज्य सम्बन्धों पर विचार करने के लिए 24 मार्च 1983 को न्यायमूर्ति रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में तीन सदस्यी समितिका गठन किया गया था। इस समिति ने 1987 में अपनी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को सौंपी।

<u>वित्त आयोग</u> –संविधान के **अनुच्छेद 280 के अनुसार** राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष के लिए एक वित्त आयोग का गठन करेगा। जिसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते है। इन पदाधिकारियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

- वित्त आयोग का मुख्य कार्य केन्द्र और राज्यों के बीच करों के वितरण के बारे में सुझाव देना है।
- वित्त आयोग अपना प्रतिवेदन (रिपोर्ट) राष्ट्रपति को देता है। और राष्ट्रपति वित्त आयोग के प्रतिवेदन को संसद के दोनो सदनों के समक्ष रखवाता है। लेकिन भारत साकार वित्त आयोग की सिफारिशे मानने के लिए बाध्य नहीं हैं
- वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष के. सी नियोगी थे। (1951) इसकी सिफारिशे 1952 से 1957 तक लागू रही थी।
- वर्तमान में 12 वे वित्त आयोग की सिफारिशें 2005 से 2010 तक लागू रहेंगी। इसके अध्यक्ष डॉ. सी. रंगराजन
- 13 वॉ वित्त आयोग डॉ. विजय केलकर की अध्यक्षता में गठित किया गया है।

<u>योजना आयोग</u> – योजना आयोग एक गैर संविधानिक संस्था है। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को केन्द्रीय मंत्रीमंडल में प्रस्ताव पारित करके किया गया था। योजना आयोग एक परामर्शदात्री संस्था है।

- प्रधानमंत्री योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है।

Samiksha INSTITUTE 9826228312

- योजना आयोग में एक उपाध्यक्ष और अन्य सदस्य होते है। जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
- वर्तमान में योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोन्टेक सिंह अहलूवालिया है।
- योजना आयोग का प्रमुख कार्य देश के लिए पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करना है।

राष्ट्रीय विकास परिषद – राष्ट्रीय विकास परिषद भी एक गैर संवैधानिक निकाय है। योजना निर्माण में राज्यों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र सरकार ने एक प्रस्ताव पारित करके 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया था।

- प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है।
- योजना आयोग का सचिव इसका पदेन सचिव होता है।
- समस्त राज्यों के मुख्यमंत्री और याजना आयोग के सभी सदस्य इसके सदस्य होते है।
- समय समय पर इसकी बैठकों में केन्द्र और राज्यों के मंत्रियों को भी आमंत्रित किया जाता है।
- राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य कार्य पंचवर्षीय योजनाओं को अन्तिम स्वीकृति प्रदान करना है।

लोक सेवा आयोग –संविधान के **अनुच्छेद 315** में संघ स्तर पर संघ लाक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। साथ ही दो या दो से अधिक राज्यों के लिए उनकी इच्छानुसार राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किया जायेगा।

- संघ लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
- वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष और 10 सदस्य है।
- संविधान के अनुच्छेद 316 में कहा गया है। कि '' आयोग के आधे सदस्य ऐसे होंगे जिन्होंने भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन 10 वर्ष तक प्रशासनिक पद पर कार्य किया हो।
- संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। जो भी पहले हो। जबकि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक होता है।
- संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य अपने कार्यकाल से पूर्व ही अपने पद से त्याग पत्र राष्ट्रपति को दे सकते है जबकि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य राज्यपाल को त्याग पत्र दे सकते है।
- संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को असर्मथता , कदाचार , और भ्रष्टाचार के आरोप में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश से जॉच करवा कर राष्ट्रपति पद से हटा सकता है।
- राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है।
- **अनुच्छेद 323 के अनुसार** – '' संघ लोक सेवा आयोग को राष्ट्रपति के समक्ष और राज्य लोक सेवा आयोग को राज्यपाल के समक्ष अपने कार्यों का प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होता है। जिनको वे विधायका में प्रस्तुत करवाते है।''
- वर्तमान में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष प्रदीप जोशी है।

निर्वाचन आयोग –संविधान के **अनुच्छेद 324** में चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है। निर्वाचन आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा दो अन्य चुनाव आयुक्त राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किये जाते है।

कार्यकाल –चुनाव आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर कार्य कर सकते हैं। लेकिन इससे पूर्व भी वे राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देकर पद से मुक्त हो सकते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके कार्यकाल से पूर्व ही संसद द्वारा सदनों में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित हो जाने पर पद से हटाया जा सकता है। जबकि अन्य निर्वाचन आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है।

निर्वाचन आयोग के कार्य –

1.राष्ट्रपति , उपराष्ट्रपति , संसद और राज्य विधान मण्डल के चुनाव सम्पन्न करवाता है।
2.चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन करवाता है।
3.मतदाता सूचियॉ तैयार करवाना और उनमें संशोधन करना।
4.राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह प्रदान करना।
5.उम्मीदवारों को अयोग्य ठहराना।
6.चुनाव कार्यक्रम तैयार करवाना।

निर्वाचन आयोग द्वारा राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना –वर्तमान में निर्वाचन आयोग किसी राजनैतिक दल को राज्य स्तरीय दल (क्षैत्रीय दल) के रूप में तब मान्यता देता है। जब उसे राज्य में संसदीय या विधान सभा चुनाव में उस राज्य से कुल वैध मतों का न्यूनतम 6 प्रतिशत मत मिला हो या लोक सभा के लिए उस राज्य से निर्वाचित 25 या उससे कम सदस्यों के अनुपात में कम से कम उसका एक निर्वाचित सदस्य हो अथवा राज्य विधान सभा में 30 विधायकों के अनुपात में उसका कम से कम एक विधायक हो। जब किसी राजनीतिक दल को 4 या उससे अधिक राज्यों में राजनीतिक दल के रूप में मान्यता मिल जाती है
तो उसे राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में माना जाता है।

राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के रूप में मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियॉ –

1.भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 2.भारतीय जनता पार्टी 3.मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी
4.भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 5.बहुजन समाज पार्टी 6. राष्ट्रीय जनता दल

- भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 में हुई। इसका पहला अध्यक्ष व्योमेश चन्द्र बनर्जी था।
- भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष अटल बिहारी बाजपेयी थे।
- जनता दल का गठन 1988 में वी . पी . सिंह द्वारा किया गया था।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी –साम्यवादी नेता एम. एन. रॉय की प्रेरणा से 26 दिसम्बर 1925 को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई।
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी –मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1964 में हुई।

राजभाषा आयोग

–संविधान के **अनुच्छेद 343 के अनुसार** '' भारतीय संघ की भाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी होगी।''

- संविधान लागू होने के समय 14 मूल भाषायें थी। लेकिन भारतीय संविधान की 8 वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यतायें दी गई है।
- संविधान के **अनुच्छेद 344 के अनुसार** '' राष्ट्रपति को राज भाषा आयोग गठित करने का अधिकार दिया गया है।''
- राजभाषा आयोग की नियुक्ति संविधान के प्रारम्भ होने से 5 वर्ष के अन्दर की गई थी।
- प्रथम राजभाषा आयोग 1955 में **वी जी खेर** की अध्यक्षता में गठित केया गया था । इस आयोग ने 1956 में अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सोपी थी ।
- प्रत्येक 10 वर्ष की समाप्ति के बाद राजभाषा आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
- राजभाषा आयोग में एक अध्यक्ष एवं संविधान की 8 वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं के प्रतिनिधि सदस्य शामिल किये जाते है।
- **राज्य की भाषा** – संविधान के अनुच्छेद 345 के अनुसार '' प्रत्येक राज्य के विधान मण्डल को यह अधिकार दिया गया है कि वह संविधान की 8 वीं अनुसूची में शामिल किसी भी भाषा को राजकीय कार्य के लिये राजकीय भाषा के रूप में स्वीकार कर सकता है।''
- जम्मू कश्मीर राज्य में उर्दू को प्रथम राजभाषा का दर्जा दिया गया है।

भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ

–मूल संविधान में 8 अनुसूचियॉ थी। लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूचियॉ हैं।

प्रथम अनुसूची – इसमें 28 राज्य और 7 केन्द्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है।
द्वितीय अनुसूची – इसमें राष्ट्रपति , उपराष्ट्रपति, राज्यपाल , उच्चतम न्यायालय , उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों , संसद , तथा राज्य विधान मण्डल के अधिकारियों के वेतन के सम्बन्ध में प्रावधान किया गया है।
तीसरी अनुसूची –उपरोक्त अधिकारियों के शपथ ग्रहण का प्रारूप दिया गया है।
चौथी अनुसूची – प्रत्येक राज्य और केन्द्रशासित प्रदेशों के लिए राज्य सभा की सीटों के आवेदन का उल्लेख किया गया है।
पांचवी अनुसूची – इसमें अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन से सम्बन्धित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है।
छठवी अनुसूची – इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, तथा मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान किया गया है।
सातवी अनुसूची – इसमें केन्द्र और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन करने के लिए संघ सूची, राज्य सूची, और समवर्ती सूची के विषयों का उल्लेख किया गया है।
आठवी अनुसूची – इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल संविधान में 14 भाषाओं का उल्लेख था।

- 1967 में 21 वें संविधान संशोधन द्वारा सिन्धी भाषा को 15 वी भाषा के रूप में जोडा गया।
- 1992 में 71 वे संशोधन के द्वारा कोकणी,, मणिपुरी, और नेपाली को जोडा गया।
- 2003 में 92 वें संविधान संशोधन के द्वारा संथाली,, डोगरी,, बोडो, और मैथिली भाषाओं को जोडा गया।
- इस अनुसूची में अंग्रेजी को शामिल नहीं किया गया है। लेकिन संस्कृत है।

नौवी अनुसूची – इसे 1951 में पहले संविधान संशोधन के द्वारा जोडा गया था। प्रारम्भ में इसमें शामिल कानूनों को न्यायालय म चुनौती नहीं दी जा सकती थी। लेकिन अब सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय समीक्षा की परिधि में ला दिया है।

- भूमि सुधार संबंधी अधिनियम इसी में शामिल है।

दसवीं अनुसूची – इसको 1985 में 52 वाँ संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था। इसमें दल बदल कानून का उल्लेख है।
ग्यारहवीं अनुसूची – इस अनुसूची को 1993 में 73 वे संविधान संशोधन के द्वारा जोडा गया था। इसमें पंचायती राज्य व्यवस्था का उल्लेख किया गया है।
बारहवीं अनुसूची – इसे 74 वे संविधान संशोधन द्वारा 1994 में जोडा गया था। इसमें नगरीय निकायों के संबंध में प्रावधान किया गया है।

संविधान संशोधन

–भारतीय संविधान में आवश्यकता अनुसार **अनुच्छेद 368 के अनुसार** संविधान में संशोधन किया जा सकता है। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है।
भारतीय सविधान में तीन प्रकार से संशोधन किया जा सकता है :–
(1) साधरण बहुमत द्वारा (2) विशेष बहुमत द्वारा (3) विशेष बहुमत तथा राज्यों के अनुमोदन से

प्रमुख संविधान संशोधन –

- **प्रथम संविधान संशोधन (1951)** – इसके द्वारा भारतीय संविधान में 9 वी अनुसूची को जोडा गया है।
- **सातवॉ संविधान संशोधन (1956)** – इसके द्वारा राज्यों का पुनर्गठन करके 14 राज्य और 6 केन्द्रशासित प्रदेशों को पुर्नगठित किया गया है।
- **दसवॉ संविधान संशोधन (1961)** – इसके द्वारा पुर्तगालियों की अधिनता से मुक्त हुए दादरा और नागर हवेली को भारतीय संघ में शामिल किया गया।
- **बारहवाँ संविधान संशोधन (1962)** – इसके द्वारा गोवा, दमण और दीव का भारतीय संघ में विलय किया गया।

- **चौदहवॉ संविधान संशोधन (1962)** – इसके द्वारा पाण्डेचेरी को केन्द्रशासित प्रदेश के रूप में भारत में विलय किया गया।
- **अठारहवॉ संविधान संशोधन (1966)** – इसके द्वारा पंजाब राज्य का पुर्नगठन करके पंजाब, हरियाणा राज्य और चण्डीगढ को केन्द्रशासित प्रदेश बनाया गया।
- **इक्कीसवॉ संविधान संशोधन (1967)** – इसके द्वारा 8 वी अनुसूची में सिन्धी भाषा को शामिल किया गया।
- **चौबीसवाँ संविधान संशोधन (1971)** – इसके द्वारा संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार दिया गया है।
- **पैतीसवॉ संविधान संशोधन (1974)** – इसके द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में सह राज्य का दर्जा दिया गया।
- **छत्तीसवॉ संविधान संशोधन (1975)** – इसके द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में 22 वे राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया।
- **बयालीसवॉ संविधान संशोधन (1976)** – इसके द्वारा यह संविधान संशोधन प्रधानमंत्री इन्दिरा गॉधी के समय स्वर्ण सिंह आयोग की सिफारिश के आधार पर किया गया था। यह अभी तक का सबसे बडा संविधान संशोधन है।
- इस संविधान संशोधन को **लघु संविधान** की संज्ञा दी जाती है। इस संविधान संशोधन में 59 प्रावधान थे।
- 1.संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष समाजवादी और अखण्डता शब्दों को जोडा गया।
- 2. मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया।
- 3.शिक्षा, वन और वन्यजीव, राज्यसूची के विषयों को समवर्ती सूची में शामिल किया गया।
- 4.लोक सभा और विधान सभा के कार्यकाल को बढाकर 5 से 6 वर्ष कर दिया गया।
- 5.राष्ट्रपति को मंत्रीपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य किया गया।
- 6.संसद द्वारा किये गये संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित कर दिया गया है।
- **चबालीसवाँ संविधान संसोधन (1978)** – (1) **सम्पत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाकर कानूनी अधिकार** बना दिया है। (2) लोक सभा और विधान सभा का कार्यकाल पुनः घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। (3) राष्ट्रीय आपात की घोषणा आंतरिक अशान्ति के आधार पर नहीं बल्कि सशस्त्र विद्रोह के कारण की जा सकती है। (4) राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया कि वह मंत्री मण्डल की सलाह को एक बार पुर्नविचार के लिए वापस कर सकता है। लेकिन दूसरी बार वह सलाह मानने के लिए बाध्य होगा।
- **अडतालीसवॉ संविधान संशोधन (1984)** –संविधान के अनुच्छेद 356 (5) में परिवर्तन करके यह व्यवस्था की गई कि पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि को दो वर्ष तक और बढाया जा सकता है।
- **बावनवाँ संविधान संशोधन (1985)** – इसके द्वारा संविधान में 10 वी अनुसूची को जोडकर दल बदल को रोकने के लिए कानून बनाया गया।
- **छपन्नवाँ संविधान संशोधन (1987)** – इसके द्वारा गोवा को राज्य की श्रेणी में रखा गया।
- **इकसठवाँ संविधान संशोधन (1989)** – संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन करके लोक सभा और राज्य विधान सभाओं में मताधिकार की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई।
- **इकहत्तरवाँ संविधान संशोधन (1992)** – इसके द्वारा संविधान की 8 वी अनुसूची में कोकणी , मणिपुरी, और नेपाली भाषाओं को जोडा गया।
- **तेहतरवाँ संविधान संशोधन (1992)** – इसके द्वारा संविधान में 11 वी अनुसूची जोडकर सम्पूर्ण देश में पंचायती राज्य की स्थापना का प्रावधान किया गया।
- **चौहतरवाँ संविधान संशोधन (1992)** – इसके द्वारा संविधान में 12 वी अनुसूची जोडकर नगरीय स्थानीय शासन को संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया।
- **चौरासीवाँ संविधान संशोधन (2001)** – इसके द्वारा 1991 की जनगणना के आधार पर लोक सभा और विधान सभा क्षेत्रों के परिसीमन की अनुमति प्रदान की गई।
- **छयासीवाँ संविधान संशोधन (2003)** – इसके द्वारा प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार की श्रेणी में लाया गया।
- **इक्यावनवाँ संविधान संशोधन (2003)** – इसके द्वारा केन्द्र और राज्यों के मंत्री परिषदों के आकार को सीमित करने तथा दल बदल को प्रतिबन्धित करने का प्रावधान है।
- इसके अनुसार मंत्री परिषद में सदस्यों की संख्या लोक सभा या उस राज्य की विधान सभा की कुल सदस्य संख्या से 15% से अधिक नहीं हो सकती है।
- साथ ही छोटे राज्यों के मंत्री परिषद के सदस्यों की संख्या अधिकतम 12 निशचित की गई है।
- **बावनवाँ संविधान संशोधन (2003)** – इसके द्वारा संविधान की 8 वी अनुसूची में बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को शामिल किया गया है।

भारत में पंचायती राज :–पंचायती राज के माध्यम से भारत में सत्ता का विकेन्द्रीकरण किया गया है।

ब्रिटिश शासन काल में 1882 में लार्ड रिपन ने स्थानीय स्वायत्त शासन की स्थापना का प्रयास किया था।

- **संविधान के अनुच्छेद 40** में राज्यों को पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है। स्वतंत्रता के बाद गॉधीवादी विचारधारा के प्रभाव से पंचायती राज्य व्यवस्था पर बिशेष बल दिया गया। इसी उददेश्य से 2 अक्टूबर 1952 को समुदायिक विकास कार्यक्रम को प्रारम्भ

किया गया। 1957 में बलवन्त राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था– (1) **ग्राम स्तर पर** – ग्राम पंचायत (2) ब्लॉक स्तर पर – पंचायत समिति (3) जिला स्तर पर – जिला पंचायत

- 1 अप्रैल 1958 को मेहता समीति की सिफारिशों को स्वीकार किया गया। और **2 अक्टूबर 1959** को देश में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था को राजस्थान के नागौर जिले में पं जवाहर लाल नेहरु ने उदघाटन किया। इसके बाद 11 अक्टूबर 1959 को आन्ध्र प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया।
- जनता पार्टी सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था में कमियों को दूर करने के लिए 12 सितम्बर 1977 को अशोक मेहता की अध्यक्षता में एक समीति का गठन किया जिसमें द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया– (1) जिला परिषद (2) मण्डल पंचायत। इस समिति ने ग्राम पंचायत को समाप्त करने की सिफारिश की थी।
- 1985 में **डॉ. पी. वी. के. राव** की अध्यक्षता में एक समिति का गठन करके यह कार्य सौपा गया कि वह ग्रामीण विकास तथा गरीबी को दूर करने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था पर सिफारिश करे। इस समीति ने राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद,जिला स्तर पर जिला परिषद मण्डल, स्तर पर मण्डल पंचायत, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत के गठन की सिफारिश की।
- पंचायती राज संस्थाओं के कायों की समीक्षा करने और उनमें सुझाव देने के लिए **डॉ. एल. एन. सिंघवी** की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। इस समिति ने गॉव के पुनर्गठन और पंचायतों को पर्याप्त वित्तीय साधन उपलब्ध कराने की सिफारिश की।
- 1988 में पंचायती राज संस्थाओं पर विचार करने के लिए **पी. के. थुंगम समीति** का गठन किया गया।

इस समिति ने अपने प्रतिवेदन में कहा कि पंचायती राज संस्थाओं को संविधान में स्थान दिया जाना चाहिए।

- पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने के लिए 1992 में 73 वाँ संविधान संशोधन पारित किया गया। जिस पर 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति ने अपनी स्वीकृति प्रदान की । 24 अप्रैल 1993 को इसे लागू कर दिया गयां। साथ ही 24 अप्रैल 1994 तक राज्यों की विधान सभाओं में पारित कराने का लक्ष्य रखा गया।
- 73 वे संविधान संशोधन के बाद देश में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला म. प्र. पहला राज्य है।
- 73 वे संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज व्यवस्था को संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 (क) में शामिल किया गया है।
- 73 वे संविधान संशोधन ने देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज्य व्यवस्था को लागू किया है। कुछ राज्यों में एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय, और चारस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया है। जम्मू कश्मीर, केरल, त्रिपुरा, मणिपुर, और सिक्किम में एक स्तरीय व्यवस्था के तहत केवल ग्राम पंचायत का गठन किया गया है। पश्चिम बंगाल, एक मात्र ऐसा राज्य है। जहॉ चार स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया गया है।

73 वे संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रावधान –

(1) पंचायतीराज व्यवस्था के अन्तर्गत सबसे निचले स्तर पर ग्राम सभा होगी। ग्राम पंचायत के समस्त मतदाताओं को मिलाकर ग्राम सभा का गठन किया जाता है।

(2) पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का निश्चित किया गया। विघटन होने की स्थिति में 6 माह के अन्दर चुनाव कराना आवश्यक है।

(3) सभी स्तर की पंचायतों के सदस्यों का चुनाव व्यस्क मतदाताओं द्वारा किया जाएगा।

(4) पंचायत के सभी स्तरों पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछडा वर्ग के सदस्यों के लिए उसके अनुपात में आरक्षण प्रदान किया जाऐगा।

(5) प्रत्येक स्तर की पंचायती राज संस्था में एक तिहाई (1/3) स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किये जायेगें।

नोट :–म. प्र. सरकार ने प्रत्येक स्तर की पंचायती राज संस्थाओं में 50% स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किये है। (6) पंचायती राज संस्थाओं के लिए चुनाव लडने वाले उम्मीदवारों की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए।

(7) 11 अनुसूची में पंचायतों के कार्य निर्धारण के लिए 29 बिषयों को शामिल किया गया है।

पंचायतों का गठन :–

(1) **ग्राम पंचायत** – कम से कम 1 हजार की आबादी के स्तर पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाएगा।

ग्राम पंचायत में एक अध्यक्ष और अन्य सदस्य होते है। अध्यक्ष को सरपंच और सदस्यों को पंच कहा जाता है।

ग्राम पंचायत के पंच और सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। ग्राम पंचायत के सदस्यों में से ही एक सदस्य को उप सरपंच चुना जाता है। ग्राम पंचायत की बैठक के लिए कुल सदस्यों की संख्या का 1/3 सदस्यों की उपस्थिति गणपूर्ति के लिए आवश्यक होती है।

- ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायत सचिव के नाम से शासकीय कर्मचारी होता है।

(2) **जनपद पंचायत** – यह ग्राम पंचायत और जिला पंचायत के मध्य सम्पर्क स्थापित करता है। जनपद पंचायत के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है। और इन्हीं सदस्यों में से एक सदस्य को अध्यक्ष और एक को उपाध्यक्ष चुना जाता है।

(3) **जिला पंचायत** –यह पंचायती राज व्यवस्था का शीर्ष स्तर है। इसके सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है। जबकि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जिला पंचायत के सदस्यों में से ही चुने जाते है।

नगरीय निकाय – नगरीय प्रशासन व्यवस्था के संबंध में मूल संविधान में कोई प्रावधान नहीं किया गया था।

लेकिन 74 वे संविधान संशोधन के तहत 1992 में नगरीय निकायों को संविधान की 12 वी अनुसूची में जोडकर सेवैधानिक मान्यता प्रदान की गई।

- जनसंख्या के आधार पर नगरीय निकायों को तीन प्रकार से गठित किया गया है – (1) **नगर निगम** – महानगरों में (2) **नगर पालिका परिषद** – छोटे नगरीय क्षेत्रों के लिए (3) **नगर पंचायत** – उन क्षेत्रों के लिए जो ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में परिवर्तित हो रहे है।
- प्रत्येक नगरीय निकाय में S.C., S.T. और O.B.C के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान को आरक्षित किया गया है। तथा महिलाओं के लिए कुल स्थानों का 50% आरक्षित किया गया है।
- नगरीय संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष होगा। लेकिन इससे पूर्व भी इनका विघटन किया जा सकता है। और विघटन की स्थिति में 6 महीने में चुनाव कराना आवश्यक होगा।
- नगरीय निकायों में म. प्र. में जन प्रतिनिधियों को वापस करने के लिए रीकोलिंग सिस्टम है।
- म. प्र. में 14 नगर निगम, 86 – नगरपालिका, 237 – नगर पंचायत है।
- नगर निगम के प्रमुख को महापौर एवम् नगर पालिका एवं नगर पंचायत के प्रमुख को अध्यक्ष कहा जाता है।

महत्वपूर्ण तथ्य –

- भारतीय संसद का **डिजाइन एडवर्ड लुटियन्स और हरवर्ड बेकर** ने तैयार किया था। इसके निर्माण में 83 लाख रूपए खर्च हुए थे। इसका उद्घाटन 18 जनवरी 1927 को लार्ड इरविन ने किया था।
- संसद भवन में सदस्यों की बैठक व्यवस्था का कक्ष "U" आकार का है।
- भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक शक्तियॉ ब्रिटेन की महारानी से मिलती जुलती है।
- संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने का उद्देश्य देश में समाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना था।
- योजना आयोग के उपाध्यक्ष को केविनेट मंत्री का स्तर प्राप्त होता है।
- कोई भी प्रत्याशी कुल पडे वैध मतों के 1/6 मत प्राप्त करके अपनी जमानत बचा सकता है।
- जनसंख्या, भूमि, सरकार और सम्प्रभुता, राज्य के चार मूलभूत तत्व माने जाते है।
- भारत सरकार का प्रथम सिविलियन अधिकारी **केबीनेट सचिव** होता है।
- भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी **महान्यायवादी** होता है।
- तारकुण्डे समीति चुनाव सुधार से सम्बन्धित है।
- 42 वे संविधान संशोधन के द्वारा नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की तुलना में अधिक वरीयता दी गई है।
- सरदार गुरूदयाल सिंह ढिल्लो, बलराम जाखड और जी. एम. सी. बालयोगी दो बार लोक सभा अध्यक्ष चुने गये।
- दिल्ली में इण्डिया गेट का निर्माण प्रथम विश्व युद्ध में मारे गये 77 हजार भारतीय सैनिको की स्मृति चिन्ह के रूप में किया गया था। इसका निर्माण 1921 में **एडविन लुटियन** के डिजाइन के आधार पर किया गया था। इण्डिया गेट पर अमर ज्योति की स्थापना 1971 के भारत पाक युद्ध के बाद की गई।
- 5 वी लोक सभा का कार्यकाल 6 वर्ष का रहा था।
- जम्मू कश्मीर राज्य का अपना अलग संविधान है। जो 26 जनवरी 1957 को लागू किया गया।
- सरकारिया आयोग, राजमन्नार आयोग और शीतलवाड समीति का गठन केन्द्र राज्य सम्बन्धों के सन्दर्भ में सिफारिशे देने के लिए गठित किया गया था।
- हाल ही में केन्द्र राज्य संबंधों पर सिफारिश देने के लिए **मदन मोहन पुंछी आयोग** का गठन किया गया था।
- **प्रेस** को प्रजातंत्र का **चौथा स्तभ** कहा जाता है।
- राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन 1994 में किया गया था।
- जय प्रकाश नारायण और तेज बहादुर सप्रू ने संविधान सभा की सदस्यता को अस्वीकार कर दिया था।
- संविधान सभा की महिला सदस्यों में सरोजनी नायडू , हंसा मेहता और दुर्गा बाई देशमुख प्रमुख थी।
- 26 नवम्वर 1949 को संविधान के उन अनुच्छेदों को लागू कर दिया गया जो नागरिकता, निर्वाचन तथा अन्तरिम संसद से संबंधित थे। 26 नवम्वर को प्रतिवर्ष **राष्ट्रीय विधि दिवस** के रूप में मनाया जाता है।
- संविधान सभा का अन्तिम दिन 24 जनवरी 1950 था और इसी दिन संविधान पर संविधान सभा के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किया गया।
- 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा को अन्तरिम संसद में परिवर्तित कर दिया गया।
- संविधान की प्रस्तावना से स्पष्ट है कि संविधान का स्त्रोत भारत की जनता है।
- **प्रो. व्हेयर के अनुसार** भारत का संविधान **अर्द्धसंघीय संविधान** है।
- वर्ष 2000 में छत्तीसगढ, उतराखण्ड और झारखण्ड तीन नये राज्यों का क्रमशः 1 नवम्वर, 9 नवम्वर और 15 नवम्वर को गठित किया गया।
- राष्ट्रपति पद पर रहते हुए किये गये कार्यों के लिए वह न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नही है।

Samiksha INSTITUTE, GWALIOR 9826228312

- संविधान का उल्लंघन करने अथवा संविधान के प्रावधानों के विरूद्ध आचरण करने पर राष्ट्रपति के विरूद्ध महाभियोग लगाया जा सकता है।
- केन्द्रीय मंत्री परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त अपने पद पर रहते है।
- केन्द्रीय मंत्री परिषद को लोक सभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित करके हटाया जा सकता है।
- लोक सभा अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार होता है।
- राज्य के मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि राज्य के प्रशासन से सम्बन्धित मंत्री परिषद के निर्णयों की सूचना राज्यपाल को दे।
- जम्मू कश्मीर राज्य विधान सभा में राज्यपाल दो महिलाओं को मनोनीत करता है।
- संसद के दो सत्रो के बीच 6 महीने से अधिक का समय अन्तराल नहीं होना चाहिए।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सन्दर्भ में विशेष प्रावधान –संविधान के अनुच्छेद 16 (4) के अनुसार SC, ST सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था की गई है।

अनुच्छेद 46 के अनुसार –'' पिछडे वर्ग के लोगों (SC, ST) को शैक्षणिक और आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

अनुच्छेद 164 के अनुसार – ''बिहार म. प्र. और उडीसा, में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए एक मंत्रालय का प्राबधान किया गया। लेकिन वर्ष 2006 में 94 वॉ संविधान संशोधन द्वारा इसमें म.प्र. और उडीसा के साथ छत्तीसगढ और झारखण्ड राज्यों को जोड दिया गया है। और विहार में इसे समाप्त कर दिया गया है।

अनुच्छेद 275 के अनुसार – '' केन्द्र द्वारा राज्यों को अनुसूचित क्षेत्रों के विकास के लिए आर्थिक सहायता देने का प्राबधान है।

अनुच्छेद 330 में –SC, ST के लिए लोक सभा में सीटों का आरक्षण किया गया है।

अनुच्छेद 332 के अनुसार –SC, ST को विधान सभा में आरक्षण दिया गया है।

अनुच्छेद 338 के अनुसार – '' राष्ट्रपति द्वारा इनके हितों की रक्षा हेतु और उनसे संबंधित जॉच करने के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी।65 वे संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 338 को संशोधित करते हुए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान किया गया।89 वे संविधान संशोधन द्वारा 2003 में अनुच्छेद 338 में संशोधन करके राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग कर दिया गया है। और एक नया अनुच्छेद 338 (A) जोड कर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन का प्राबधान किया गया है।

अन्य पिछडा वर्ग (O.B.C) के लिए प्रावधान –**अनुच्छेद 340** के अन्तर्गत राष्ट्रपति को पिछडे वर्ग की दशाओं (शैक्षणिक और सामाजिक) को जानने के लिए एक आयोग की नियुक्ति करने की शक्ति प्राप्त है।राष्ट्रपति ने अब तक 2 पिछडा वर्ग आयोग का गठन किया है।

(1) 29 जनवरी 1953 को **काका कालेलकर** की अध्यक्षता में।
(2) 20 सितम्वर 1978 को **वी. पी. मण्डल** की अध्यक्षता में।

- काका कालेलकर की सिफारिशो को अमान्य कर दिया गया। जबकि मण्डल आयोग की सिफारिशों के आधार पर O.B.C को 27% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। (शासकीय सेवाओं में केन्द्रीय स्तर पर)

भारत में वरीयता क्रम – (1) राष्ट्रपति (2) उपराष्ट्रपति (3) प्रधानमंत्री (4) राज्यों के राज्यपाल अपने अपने राज्यों में (5) भूतपूर्व राष्ट्रपति (6) उप प्रधानमंत्री (7) भारत के प्रमुख न्यायाधीश और लोक सभा अध्यक्ष
(8) केन्द्रीय मंत्रीमण्डल के मंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री अपने अपने राज्यों में और उपाध्यक्ष योजना आयोग और भूतपूर्व प्रधानमंत्री और राज्य सभा और लोक सभा में विपक्ष के नेता

भारत के राष्ट्रपति क्रमानुसार – (1) डॉ. राजेन्द्र प्रसाद (2) डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन (3) डॉ. जाकिर हुसैन (4) डॉ. वी. वी. गिरी. (कार्यवाहक) (5) न्यायामूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्ला (कार्यवाहक) (6) डॉ. वी. वी. गिरी. (7) फखरुद्दीन अली अहमद (8) वी. डी. जत्ती (कार्यवाहक) (9) नीलम संजीव रेड्डी (10) ज्ञानी जैल सिंह (11) आर. वैकटरमन (12) डॉ. शंकर दयाल शर्मा (13) के. आर. नारायन (14) डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम (15) श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल

उपराष्ट्रपति क्रमानुसार –(1) डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन (2) डॉ. जाकिर हुसैन (3) वी. वी. गिरी. (4) गोपाल स्वरूप पाठक (5) वी. डी. जत्ती (6) मोहम्मद हिदायतुल्ला (7) आर. वेंकटरमन (8) डॉ. शंकर दयाल शर्मा (9) के. आर. नारायण (10) कृष्णकान्त (11) भैरो सिंह शैखावत (12) मोहम्मद हामिद अंसारी

प्रधानमंत्री क्रमानुसार –(1) पं जवाहर लाल नेहरू (2) गुलजारी लाल नन्दा (कार्यवाहक) (3) लाल बहादुर शास्त्री (4) गुलजारी लाल नन्दा (कार्यवाहक) (5) इन्दिरा गॉधी (6) मोरारजी देसाई (7) चौधरी चरण सिंह (8) इन्दिरा गॉधी (9) राजीव गॉधी (10) विश्वनाथ प्रताप सिंह (11) चन्द्रशेखर (12) पी. वी. नरसिंहाराव (13) अटल विहारी वाजपेयी (14) एच. डी. देवगौडा (15) इन्द्र कुमार गुजराल (16) अटल विहारी वाजपेयी (17) डॉ. मनमोहन सिंह ।